

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 मार्च, 1997

खण्ड 1 अंक 13

अधिकृत विवरण



विषय सूची

शुक्रवार, 21 मार्च, 1997

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(13)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(13)14
विभिन्न विषयों का उठाया जाना/सदन की कार्यवाही में सुधार के लिए सुझाव देना।	(13)22
बाक आउट	(13)29
विभिन्न विषयों का उठाया जाना/सदन की कार्यवाही में सुधार के लिए सुझाव देना (पुनरावृत्ति)	(13)29
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(13)30
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(13)31
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(13)31
समितियों की रिपोर्ट्स पेश करना—	
(i) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 44वीं रिपोर्ट	(13)32
(ii) पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी की 42वीं रिपोर्ट	(13)32
(iii) कैलफोर्नर आफ सिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड सिड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी की 22वीं रिपोर्ट	(13)32
(iv) एस्टीमेट्स कमेटी की 29वीं रिपोर्ट	(13)32
(v) गवर्नमेंट एस्पॉर्टिंग कमेटी की 28वीं रिपोर्ट	(13)32

सूच्य :

बिज़-
विज्ञ-

- | | | |
|-------|--|--------|
| (i) | दि महाविद्यालय दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेंट) बिल, 1988
(पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस यथाप्राप्त) | (13)33 |
| (ii) | दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेंट) बिल, 1988
(पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस यथाप्राप्त) | (13)36 |
| (iii) | दि हरियाणा म्युनिसिपल कार्पोरेशन (अमेन्डमेंट) बिल, 1997 | (13)39 |
| (iv) | दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमेन्डमेंट) बिल, 1997 | (13)40 |
| (v) | दि हरियाणा लैजिसलेटिव असेम्बली (असोसिएज एण्ड फेन्शन
आफ मेम्बरज) अमेन्डमेंट बिल, 1997 | (13)43 |
| | शिक्षा मन्त्री द्वारा धन्यवाद। | (13)45 |

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 21 मार्च, 1997

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

सारांशित प्रश्न एवं उत्तर

Setting up of a Petrol Pump at Julana

*242. Shri Sat Narain Lather : Will the Minister of State for Tourism be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a petrol pump by the Haryana Tourism Corporation at Julana, District Jind ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री अतर सिंह सैनी) : जी, नहीं।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से तो मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि ये आज भी मेरे सवाल का जवाब "ना" में देंगे। मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे जुलाना कस्बे से 70 किलोमीटर की दूरी पर नरवाना में टूरिस्ट कैम्पलेक्स है। इधर दूसरी तरफ भी 40 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पम्प है। परन्तु जुलाना में कोई सरकारी पेट्रोल पम्प न होने के कारण किसानों को बहुत सी असुविधा रहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार वहाँ पर टूरिज्म कारपोरेशन का पेट्रोल पम्प खोल दे ताकि किसानों को राहत मिल सके।

श्री अतर सिंह सैनी : मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि जहाँ पर हमारे पर्यटन केन्द्र हैं वहाँ उन पर्यटकों की सुविधा के लिए हम उन टूरिस्ट कैम्पलेक्स में पेट्रोल पम्प लगाते हैं। अलग से हम कोई पेट्रोल पम्प नहीं लगा रहे। जुलाना में धुँके कोई टूरिस्ट कैम्पलेक्स नहीं है इसलिए यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री सतनारायण लाठर : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि पहले ये जुलाना में टूरिस्ट कैम्पलेक्स बना दें उसके बाद वहाँ पर पेट्रोल पम्प खोल दें।

श्री अतर सिंह सैनी : मैं आदरणीय मन्बर साहेब से निवेदन करता हूँ कि इस बारे में अपना एक नोट हमें दे दें। उसके बाद इनके नोट पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिया जायेगा।

श्री बरिन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि लाठर साहेब की जुलाना में सड़क के किनारे एक आलीशान कोठी बन रही है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर टूरिस्ट कैम्पलेक्स खोल कर फिर पेट्रोल पम्प खोल दिया जाये।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मेरी कोठी सड़क से दूर है।

श्री अध्यक्ष : पर्यटन मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपके टूरिस्ट कैम्पलैक्सिज हैं वहाँ पर तो आप पेट्रोल पम्प लगा रहे हैं लेकिन जहाँ पर नहीं हैं वहाँ पर नहीं लगा रहे। जैसा कि अभी आपने जुलाना का जिकर किया। इसी प्रकार से कई और शहर/कस्बे ऐसे हैं जहाँ पर आपके टूरिस्ट कैम्पलैक्स नहीं हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ पर आपके टूरिस्ट कैम्पलैक्स नहीं हैं क्या वहाँ पर आप पेट्रोल पम्प खोलने पर विचार करेंगे। यदि आप ऐसी जगहों पर पेट्रोल पम्प खोल देते हैं तो, उसमें क्या हर्ज है?

श्री अतर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, यह पालिसी मैटर तो नहीं है फिर भी हम आपके सुझाव पर कैबिनेट में विचार कर लेंगे।

श्री कृष्ण लाल : मैं मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूँ कि पानीपत में आपका जो स्काईलार्क में पेट्रोल पम्प है उस पर पिछले दिनों डैकैती पड़ गई थी जिसमें 6 लाख 40 हजार रुपये लूटे गए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वह चोरी ट्रेस हो गयी है या नहीं? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या वह पम्प इन्स्योर्ड है या नहीं?

श्री अतर सिंह सैनी : इसकी एफ०आई०आर० दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। जहाँ तक इन्स्योरेंस की बात है, आगे से हम इन्स्योरेंस करवाना शुरू कर देंगे।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, जो मुलाजिम वहाँ पर मारा गया है वह मेरे हल्के के गांव नारा का था और उसका नाम शिव दत्त शर्मा था। अपराधी उसको गोली मार कर चले गए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूँगा कि क्या उस लड़के के परिवार को कुछ सहायता देने के बारे में सरकार विचार करेगी?

श्री अतर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि इस बारे में सरकार विचार करेगी।

To Increase Bed capacity of Government Hospital, Ambala Cantt.

*278. Shri Anil Vij : Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the number of beds in the Civil Hospital, Ambala Cantt. ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : जी नहीं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला छावनी का अस्पताल बहुत पुराना अस्पताल है और अम्बाला छावनी की जनसंख्या करीब 2 लाख है। नेशनल हाईवे इसके साथ ही लगता है। कई बार इस ऐरिया का सर्वेक्षण भी हुआ है और यह ऐरिया एक्सीडेंट प्रोन ऐरिया है। राजपुरा से ले कर अम्बाला तक दुर्घटनाओं की संख्या काफी ज्यादा है। अम्बाला छावनी के आस-पास काफी गांव भी लगते हैं जहाँ से लोग इलाज हेतु यहाँ आते हैं। इस अस्पताल का स्टाफ स्तर तथा बैड्स कैपिसिटी काफी कम है। हमारी आदरणीय एम०पी० श्रीमति सुषमा स्वराज ने अपने विशेष फण्ड्स से वहाँ भवन निर्माण करवाया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूँगा कि क्या वहाँ पर स्टाफ और नये उपकरण दे कर उस अस्पताल के स्तर को बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला केन्ट का जो अस्पताल है वह पहले अम्बाला केन्टोनमेंट बोर्ड का अस्पताल था और 10—12 साल पहले ही इस अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेक ओवर किया गया है। इस अस्पताल की कैपेसिटी 50 बेड्स की थी लेकिन इसमें 25 बेड्स और बढ़ा कर इसमें बेड्स की संख्या 75 की गई है। इस अस्पताल की जमीन चौने छः एकड़ है। माननीय विधायक ने कहा है कि इसको 100 बेड्स का अस्पताल बनाया जाए। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 100 बेड्स के अस्पताल के लिए 12 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है लेकिन अम्बाला छावनी में अभी 12 एकड़ जमीन कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि 12 एकड़ जमीन हमें उपलब्ध हो जाए। 12 एकड़ जमीन के बिना 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनवाया जा सकता है। वहां पर स्टाफ सफिशेंट है और इंसिंजीं मशीन भी है। एक नई इंसिंजीं मशीन हम वहां पर और देने जा रहे हैं। वहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर 12 एकड़ जमीन उपलब्ध हो गई तो वहां 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने बारे विचार कर लिया जाएगा।

श्री अनिल बिज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कितनी पापुलेशन पर कितने बेड्स का अस्पताल हरियाणा सरकार प्रोवाइड करती है और इसका क्राइटीरिया क्या है ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की जो नीति है उसके हिसाब से ब्यरिवार मैं डिटेल बता देता हूँ। 5 हजार तक की जनसंख्या पर सब-सेंटर, 30 हजार तक की जनसंख्या पर पी०एच०सी० एक लाख से एक लाख 20 हजार तक की जनसंख्या पर सी०एच०सी० और उसके बाद 30 बिस्तर, 50 बिस्तर और 100 बिस्तर अस्पताल होते हैं जो कि पापुलेशन के हिसाब से खुलते हैं। इस वक्त अम्बाला छावनी की जनसंख्या के मुताबिक और नार्म के अनुसार 75 बेड्स का अस्पताल ठीक है।

श्री राज कुमार सेनी : माननीय स्पीकर सर, चौधरी बंसी लाल जी 1972 में जब मुख्य मंत्री थे तो उस समय नारायणगढ़ में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया गया था लेकिन वहां पर अभी तक एमरजेंसी डिवीजन का प्रावधान नहीं किया गया है। एमरजेंसी डिवीजन के लिए एक डॉक्टर के लिए मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से अनुरोध भी किया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वहां पर डॉक्टर कब तक भेज दिया जाएगा और एमरजेंसी सेवाएं कब से शुरू हो जाएंगी ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले भी इस बारे में मुझसे कहा था और मैंने इनको बता भी दिया था कि जो नई भर्ती हमने डाक्टरों की की है उनमें से हफ्ते या 10 दिन के अन्दर वहां पर डाक्टर भेज दिया जाएगा।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, चरखी दादरी अस्पताल में इंटेल सर्जन और आई सर्जन नहीं है। वहां पर जो आई सर्जन था उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या ये वहां पर इन सर्जनों को लगाने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के मुखिया की आत्मा से इच्छा है कि हर हास्पिटल में पूरे का पूरा स्टाफ रहे और मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में मुझे दो तीन बार आदेश भी दिए हैं कि स्टाफ जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। हम सारे हरियाणा में हर हास्पिटल में डाक्टरों की कमी को पूरा करेंगे ताकि हर हास्पिटल ठीक ढंग से चलाने का प्रबन्ध हो सके।

श्री अभ्यक्ष : मंत्री जी, जिला सिवाना में पी०एच०सी०, सी०एच०सी० और जितनी भी रूरल डिस्पेंसरियां हैं वहां पर पिछले पांच सालों से डाक्टरों की कमी है क्या वहां पर भी शीघ्र अति शीघ्र डाक्टरों की भर्ती करने का कोई विचार है ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, जिला भिवानी में 25 डाक्टरों का प्रावधान है और वहां पर 20 डाक्टर ही हैं आपकी बात ठीक है वहां पर पांच डाक्टरों की कमी है। अभी हमने जो 205 डाक्टरों की भर्ती की है हम पूरी ईमानदारी से डाक्टरों की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। चाहे वह कभी पी०एच०सी०, सी०एच०सी० या रूरल डिस्पेंसरी में है।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में एक पी०के० अस्पताल है, उस अस्पताल के लिए एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी, वह किन कारणों से रोक दी गई है। क्या मंत्री जी उसको दोबारा से शुरू करवाने का प्रावधान करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, हम 10 नए हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। इस बारे में मुझे ध्यान नहीं है कि जो ये बात कर रहे हैं कि वहां पर काम रोक दिया गया है इस बारे में मैं पता कर लूंगा। वैसे अध्यक्ष महोदय, इनका सवाल इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में होडल कस्बा एक बहुत ही बड़ा है वहां के पी०एच०सी० में दवाईयों की कमी तो है ही साथ ही में वहां पीने के पानी की भी कमी है। वहां पर बीमार व्यक्ति को पीने का पानी काफी दूर से लाना पड़ता है तो क्या मंत्री जी वहां पर पीने के पानी का कोई इंतजाम करवाएंगे ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है हम इस बारे में जांच करवा लेते हैं और यदि वाकई में वहां पर इस प्रकार की इनको कोई शिकायत है तो हम शत प्रतिशत उसको दूर करेंगे।

श्री अश्वक्ष : माननीय मंत्री जी, देहात के अंदर जितनी भी पी०एच०सी० या पी०एच०सी० हैं वहां पर अक्सर यह देखने में आया है कि शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। इनमें तो बीमार आदमी जाते ही रहते हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रायोरिटी बेसिज पर आप पी०एच०सी० या पी०एच०सी० में शौचालय की व्यवस्था करवाने की कोशिश करें।

श्री ओम प्रकाश महाजन : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पी०एच०सी० एवं पी०एच०सी० में लैटरिन की व्यवस्था है। यह अलग बात है कि कहीं पर ये खराब हो गयी हों। लेकिन मैं जब भी कभी इनकी सरप्राइज चैकिंग करता हूँ तो सबसे पहले मैं लैटरिन और बाथरूम को ही देखता हूँ कि वे ठीक भी हैं या नहीं।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पानीपत के अस्पताल में तो मच्छर हैं ही लेकिन सारे शहर में भी मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं। क्या मंत्री जी वहां पर इन मच्छरों की रोकथाम के लिए कोई दवाई का छिड़काव करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, इनकी रोकथाम के लिए वहां पर छिड़काव करवाने का हमारा प्रोबिजन है।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, गांवों में जितने भी पी०एच०सी० या पी०एच०सी० हैं उनमें से ज्यादातर में डाक्टरों और अन्य सभी कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सेवा में भर्ती करते समय इन लोगों के लिए कोई ऐसी सेवा शर्तें लगाने का विचार रखते हैं कि इनको पहले गांवों में तीन या चार साल तक सर्विस करनी पड़ेगी ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सबाल इन्होंने कियी है वाकई इसमें शक नहीं है कि देहात के अंदर कई अस्पतालों में डाक्टर एवं अन्य कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं जबकि ये खाली नहीं रहने चाहिए। हमने इस बारे में यह निश्चित किया है कि ऐसे अस्पतालों में कोई भी पद खाली न रहे। जहां तक इन्होंने यह कहा कि इनको भर्ती करते समय शर्तें लगायी जानी चाहिए तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस बारे में हमें पहले एल०आर० से पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसी पाबंदी हम लगा सकते हैं या नहीं। लेकिन यह मैं इनको विश्वास दिलाता हू कि ऐसी जगहों पर कोई पद खाली नहीं रहेगा।

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : स्पीकर सर, मैं इस बारे में बताना चाहूंगी कि हमने तो अपनी सरकार के आने के बाद ही इस बारे में नियम बना दिए थे कि जो भी डाक्टर तथा भर्ती होगा उसको पहले तीन साल तक गांव में सर्विस करनी पड़ेगी और उसके बाद ही वह शहर में जा सकेगा। इसके अलावा वहां पांच साल की गांव में सर्विस करने के बाद ही आगे एम०डी०या एम०एस० कर सकता है।

श्री अनिल बिज : स्पीकर सर, अम्बाला छावनी के अस्पताल के बारे में मंत्री जी ने काफी भक्तरात्मक जवाब दिए हैं। मैं आपके द्वारा इनसे जानना चाहूंगा क्योंकि अम्बाला छावनी का एरिया ऐक्सीडेंट्स प्रोन एरिया है और ऐक्सीडेंट्स होने के बाद घायल लोगों को वहां पर ही प्रोपर सुविधा न मिल पाने के कारण पी०जी०आई० तक ले जाना पड़ता है कई तो रास्ते में ही अपनी जिन्दगी खो देते हैं। क्या मंत्री जी अम्बाला छावनी के अस्पताल में ही ट्रोमा सेंटर या अन्य दूसरी सुविधाएं प्रदान करने के बारे में विचार करेंगे ताकि ऐक्सीडेंट्स में घायल हुए लोगों को वहाँ पर ही सारी सुविधाएं प्रदान की जा सकें ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, जो सुविधाएं एक अच्छे अस्पताल में दी जाती हैं वे सारी की सारी अम्बाला छावनी के अस्पताल में हैं फिर भी अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि वह अस्पताल किन्हीं सुविधाओं से महसूस है तो वे उस अस्पताल की कमियां बता दें तुरंत पूरी कर दी जाएंगी।

श्री नफे सिंह जुन्डला : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जुन्डला में एक पी०एच०सी० जुन्डला में है और दूसरी निसिंग में है ये दोनों बहुत खस्ता हालत में हैं न तो वहां पर डाक्टर हैं, न बिस्तरों का अरेंजमेंट है और उनकी चारदीवारी भी गिरी पड़ी है जो बीमार व्यक्ति वहां जाता है तो ठीक होने की बजाय और ज्यादा बीमार हो जाता है क्योंकि चारदीवारी टूटी होने की वजह से वहां मवेशी घुस आते हैं वहां डंगर, गधे, घोड़े, कुत्ते घूमते रहते हैं जिसकी वजह से वहां बड़ी गन्दगी है मैं जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के की जो पी०एच०सी० है उनकी चारदीवारी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और बिस्तरों का अरेंजमेंट करने का कोई प्रस्ताव है ? इसके साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या मेरे हल्के में पी०एच०सी० खोलने का विचार है?

श्री ओम प्रकाश महाजन : स्पीकर सर, मैंने पहले भी किसी सबाल के जवाब में निवेदन किया था कि इस साल हम 10 अस्पताल, 9 सी०एच०सी० और 25 पी०एच०सी० की बिल्डिंग बना रहे हैं इस समय जो हमारे पास दरखास्तें आई हैं उनकी हमने जांच करके पाया है कि उनमें अम्बाला में सिर्फ बराड़ा में बना रहे हैं और करनाल में हम काछवा में बना रहे हैं। माननीय सदस्य यदि अपने हल्के के बारे में दरखास्त दे दें तो बचाने का प्रयास करेंगे।

Provision of Drinking Water in Bahadurgarh

*358. **Shri Nafe Singh Rathee** : Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide drinking water supply to areas across the railway line in Bahadurgarh, district Rohtak ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) : जी, हाँ।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह काम कब शुरू हो जाएगा और कितने दिन में खत्म होगा और इस पर कितनी लागत आएगी ?

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़ माइनर से बहादुरगढ़ शहर में पानी आता था लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती थी। मात्रा कम होने के कारण अब यह किया गया है कि गुडगांव वाटर चैनल से 11 किलोमीटर लम्बी एक बहादुरगढ़ वाटर चैनल बनाकर पानी लाया जाएगा। इस पर 3 करोड़ 13 लाख रुपये खर्च होंगे और हुड्डा व पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर के यह खर्च बहन करेंगे। चैनल नहर महकमा बनाएगा। लेकिन समय के बारे में मैं इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि जिन लोगों की जमीन पड़ती है उन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है जैसे ही स्टे वैकेट हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, गांवों में औरतें भटक लेकर खड़ी रहती हैं और पानी के लिए झगड़ा होता है और कभी इसकी चोटी उसके हाथ और कभी उसकी चोटी उसके हाथ में होती है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या हर गांव में ट्यूबियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जगन्नाथ : सर, आवश्यकता अनुसार हम हर क्षेत्र में जनसंख्या के हिसाब से इनकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे हरियाणा के अन्दर हमारी कोशिश यह है कि कम से कम 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबको पानी मिले। लेकिन हरियाणा के अन्दर 1626 गांव ऐसे हैं जहां 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी पानी नहीं मिलता है। 550 गांवों में तो 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी देने का प्रावधान इस साल किया जा रहा है बाकी के जो गांव बच गये हैं उनके लिए अगले साल यह काम कर दिया जायेगा उसके बाद भी अगर कुछ बचे तो उनके लिए बाद में पानी की पूर्ति कर दी जायेगी।

श्री ओमप्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन के दौरान पानीपत में दस ट्यूबवैल्वेज लगे थे लेकिन अभी तक वे चालू नहीं हुए हैं क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे दस ट्यूबवैल्वेज कब तक चालू हो जायेंगे ?

श्री जगन्नाथ : जल्दी ही चालू कर दिये जायेंगे।

श्री सतबिन्दर सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे हल्के के गांव डाडत में एक वाटरवर्क्स है उसमें दो पम्प लगे हुए हैं लेकिन वे स्टार्ट नहीं हुए हैं और इसी तरह राजौंद गांव में जब 1972 में वाटर वर्क्स बनाया गया था तब उस गांव की आबादी 7-8 हजार थी लेकिन अब आबादी 20 हजार हो गई है जिससे आधे गांव में पानी की सप्लाई होती है, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर नया वाटर वर्क्स बनायेंगे ?

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या कोई एक गांव की नहीं है यह तो सारे हरियाणा की समस्या है क्योंकि गांव में जिस साईड में वाटर वर्क्स बना हुआ है उस साईड में पानी ज्यादा जाता है और दूसरी साईड में कम पानी पहुंच पाता है। जैसे कि अगर नार्थ साईड में वाटर वर्क्स है तो साऊथ साईड में पानी कम जायेगा दूसरी बात यह है कि गांव में जनसंख्या के हिसाब से भी नलके लगे होते हैं और

गलियों में जो नलके लगे होते हैं वे अक्सर खुले रहते हैं जिस कारण से गांव के दूसरे छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। अब सरकार ने सोचा है कि गांव की गलियों में जो नल है उन पर स्टैंड टेपस लगाये जायें और जो नलके अक्सर चलते रहते हैं उनको बंद किया जाये इस तरह से गांव के दूसरे छोर तक पानी पहुंच जायेगा अगर फिर भी इन स्टैंड टेप को खराब करते हैं तो उस एरिया का पानी बंद हो जायेगा।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर कितने वाटर वर्क्स हैं, कितने डोजिंग पम्प हैं और कितने चालू हालत में हैं और कितने बन्द बड़े हैं?

श्री जगननाथ : अध्यक्ष महोदय, अगर यह सवाल अलग से दे दें तो अच्छा होगा। कल तो ये (विष्णु एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मुंह काले वाले शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय मैं डोजिंग पम्प के बारे पूछ रहा हूँ (विष्णु)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप पवार साहब की प्रीवेंसिज अलग से ले लें क्योंकि ये तो जैनुअन बात लगती है।

श्री जगननाथ : ये तो हम पूरे हरियाणा के अन्दर ही करने आ रहे हैं।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। शुक्र है कि 15 दिनों में पहली बार ये नाम तो आपने लिया।

श्री जगननाथ : हम तो सारे हरियाणा के बारे में गम्भीरता से सोच रहे हैं एक हल्के का मुद्दा 10.00 बजे नहीं है ***** और कहते हैं कि हल्के का विकास नहीं होता (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जुलाना कस्बे में लाईन पार वार्ड नं० 8 में एक हरिजन बस्ती है। वहां पर पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं जाती है। जब भी हम विभाग से इस बारे में प्रार्थना करते हैं तो वे कहते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट हमें लाईन क्रॉस करने की मंजूरी नहीं देती है। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि बहादुरगढ़ की समस्या है, ठीक वैसी ही जुलाना की समस्या है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या लाईन पार उस हरिजन बस्ती में पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे ?

श्री जगननाथ : अध्यक्ष महोदय, हम धीरे धीरे हरियाणा की हर बस्ती में पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि धारूहेड़ा कस्बे की आबादी 20 हजार है यह है क्योंकि भिवाड़ी जो कि उसके नजदीक पड़ता है, वहां पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जैसे कि मंत्री जी ने अभी बताया कि उन्होंने 40 लीटर पानी प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान किया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या धारूहेड़ा के लिए भी कोई ऐसा प्रावधान किया है ?

श्री जगननाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, रोहतक, सिरसा, हिसार और भिवानी ये 6 जिले हैं, जहां पर ज्यादा खारा पानी है। इन जिलों में पशुओं के लिए भी पीने के पानी की दिक्कत होती है। इन 6 जिलों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति नहीं, बल्कि 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति करने जा रहे हैं।

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों दोतर गांव में जो बीमारी फैली थी, उससे बहुत सारे लोग मारे गए तथा कई और गांवों में भी इस बीमारी से लोग मारे गए।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। स्पीकर महोदय, हेल्थ विभाग ने इस बारे में जो सर्वे कराया, उससे यह तथ्य सामने आए कि वाटर वर्क्स सिरसा का पानी जो रैस्ट हाउस, सिरसा में आता है, वह भी लैबोरेटरी में चैक करवाने पर खराब पाया गया।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए। भाषण नहीं दीजिए।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, उसकी रिपोर्ट भी फेल आई है। क्या मंत्री जी यह जानते हैं कि रैस्ट हाउस में जो पानी आ रहा है, वह भी अच्छा नहीं है। उससे भी बीमारी फैली है। क्या इसके लिए कोई इन्क्वायरी करवाएंगे ?

श्री जगननाथ : पब्लिक हेल्थ विभाग में आफिसर्स जैसे कि एस०डी०ओ० तथा स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों दोनों की टीम बनाई हुई है। दोनों समय समय पर हर बाटर वर्क्स को चैक करते हैं तथा सैंपल लेते हैं और जहां कहीं भी कोई खराबी पाई जाती है, उसको ठीक करते हैं। हां, अगर इस बारे में कोई विशेष केस आपके नोटिस में है, तो उसकी जांच भी करा लेंगे और जहां कमी है, उसको ठीक भी कर देंगे।

श्री आनन्द कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मंत्री जी ने बतलाया है कि सभी जगहों पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि पूरे हरियाणा में जहां जहां पानी की कमी है, उसको पूरा किया जाएगा ?

श्री जगननाथ : अध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह कर रहे हैं कि सभी को साफ सुथरा पीने का पानी मिले।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़ ब्लाक के गांव भांडोटी जिसकी आबादी लगभग 12 हजार के करीब है, यह करण सिंह दलाल जी का गांव है। इस गांव के आधे से ज्यादा हिस्से में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। इससे भी बढ़कर बड़े खेद की बात है कि इस गांव में एक कन्या हाई स्कूल है और उस स्कूल में भी कई सालों से पानी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस गांव में पानी की समस्या पर सरकार विचार करे तथा इसका समाधान करवाए।

श्री जगननाथ : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने एक दिन कहा था कि ईतरहेडी गांव में पीने का पानी नहीं जाता है। हमने उस गांव के बारे में टेलीफोन करके पता करवाया है वहां पानी पहुंच रहा है यह बात ठीक है कि पानी कुछ कम पहुंच रहा है परन्तु यह बात नहीं है कि उस गांव में पानी बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा है। जिस स्कूल के लिए पीने के पानी के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है वहां पर पानी पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी।

Upgradation of Govt. Middle School, Bhairon

*301. Shri Balbir Singh : Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Middle School, Bhairon, District Rohtak ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : वर्तमान में विद्यालय को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बलबीर सिंह : स्पीकर साहब, भैरो भैणी गांव का गवर्नमेंट मिडल स्कूल सारी शर्तें पूरी करता है उसमें कमरे भी पूरे हैं और उसकी बिल्डिंग भी पूरी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब वह स्कूल दर्जा बढ़ाने के सारे नार्मज पूरे करता है तो उसका दर्जा क्यों नहीं बढ़ाया जाता ? आप कम से कम एक हल्के में एक स्कूल का दर्जा तो बढ़ाएं। जहां आपने 8-9 और स्कूलों का दर्जा बढ़ाया है तो एक इस स्कूल का भी दर्जा बढ़ा दें।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बलबीर सिंह जी का कल भी एक सवाल था हम उसके लिए पूरी तैयारी करके आए थे और आज भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। एक सवाल की तैयारी करने में पूरे सचिवालय का बहुत समय लगता है। कल ये यूं यूं कर रहे थे यदि इस सवाल के जवाब में मैं भी यूं यूं करूँ तो ठीक नहीं होगा। स्पीकर साहब, भैरो भैणी का विद्यालय का दर्जा बढ़ाने के नार्मज पूरे नहीं करता। उसके अन्दर कमरे भी कम हैं और उसके पास जमीन डेढ़ एकड़ है जबकि दर्जा बढ़ाने के लिए कम से कम पांच एकड़ जमीन चाहिए।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस गांव की पंचायत उस स्कूल का दर्जा बढ़ाने के बारे में मंत्री जी से मिली थी और इन्होंने उस स्कूल का दर्जा बढ़ाने के बारे में उनको विश्वास भी दिलाया था। मंत्री जी आप अपने वायदे को न भूलें आपने कहा था कि इस स्कूल का दर्जा बढ़ाएंगे।

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, वह विद्यालय दर्जा बढ़ाने के नार्मज पूरे नहीं करता जब नार्मज पूरे करेगा तब उसका दर्जा बढ़ाने के बारे में विचार किया जाएगा।

श्री बलबीर सिंह : स्पीकर साहब, वह स्कूल दर्जा बढ़ाने की सारी शर्तें पूरी करता है अगर इन्होंने उसका दर्जा बढ़ाना ही नहीं है तो मैं और क्या पूछू।

श्री नफे सिंह जुण्डला : स्पीकर साहब, मेरे हल्के जुण्डला के नीसिंग, गोन्धर, जुण्डला, जलमाना, बस्तली, ब्रास, खेड़ी नरू बड़े बड़े गांव हैं और इन गांवों के स्कूल दर्जा बढ़ाने के सारे नार्मज पूरे करते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन गांवों के स्कूलों का दर्जा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा ?

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह सवाल तो चौधरी बलबीर सिंह के गांव भैरो भैणी के स्कूल के बारे में है। माननीय सदस्य इन गांवों के बारे में अलग से नोटिस दे दें इनको बताना दिया जाएगा।

श्री रामफल कुण्डु : स्पीकर साहब, मेरे हल्के सफीदों का मुआना गांव एक बहुत बड़ा गांव है उसकी 16-17 हजार की आबादी है अभी तक उस गांव में हाई स्कूल ही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उस गांव के स्कूल का दर्जा बढ़ा कर दस जमा दो प्रणाली का किया जाएगा।

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि सफीदों हल्के का मुआना गांव बहुत बड़ा गांव है इनके हल्के में और भी बहुत बड़े बड़े गांव होंगे। मुआना में हाई स्कूल चल रहा है अगर वह दर्जा बढ़ाने के सारे नार्मज पूरे करता है तो उस पर विचार करेंगे। स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार, चौधरी बंसी लाल जी की सरकार, हविषा-भाजपा के गठबंधन की सरकार ने हरियाणा को एक नया हरियाणा बनाने का संकल्प लिया है। हम हरियाणा प्रान्त में शराब बंद करने में कामयाब हुए हैं। हमारी सरकार का शिक्षा की तरफ बड़ा ख़्दान बढ़ा है। हमारा इधर से जो ध्यान हटा है उसकी शिक्षा की तरफ लगाएंगे। हम नैतिक शिक्षा की तरफ ध्यान लगाएंगे,

[श्री राम बिलास शर्मा]

सांस्कृतिक शिक्षा की तरफ ध्यान लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां जहां पर नार्मर्ज पूरे होते होंगे वहां वहां पर हम स्कूलों का दर्जा बढ़ा देंगे।

श्री सतबिन्द्र सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांव में नगूरा में मुख्य मंत्री जी गए थे। उस समय ये आश्वासन देकर आये थे कि इस स्कूल का दर्जा दस जमा दो का कर दिया जायेगा। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में डाडत गांव भी एक बहुत बड़ा गांव है। उस स्कूल में भी सारे नार्मर्ज पूरे हैं। क्या शिक्षा मंत्री जी इन दोनों स्कूलों का दस जमा दो का दर्जा करने जा रहे हैं ?

श्री राम बिलास शर्मा : राणा साहब ने ठीक फरमाया है। जब जीद में प्रिवेसिज कमेटी की मीटिंग में ही सी०एम० साहब जाते हैं तो वे गांव गांव में होकर लोगों से बातचीत करते हुए जाते हैं। मुख्य मंत्री जी नगूरा में भी गए थे। कण्डेला में भी गए थे। यह बात राणा साहब ठीक कह रहे हैं कि नगूरा भी एक बड़ा गांव है और डाडत भी बड़ा गांव है। ये इन स्कूलों के पूरे नार्मर्ज करवा दें, फिर उन पर अवश्य विचार करेंगे।

डॉ० वीरिन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, आज तक ये नार्मर्ज क्या हैं, वे नहीं बता पाये।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, कल में पूरी तैयारी के साथ आया था। विमनी का मैंने आश्वासन दिया था (विघ्न) विमनी, डीघल, दुजाना, बेरी व दुबलधन आदि सभी गांवों की मैं पूरी तैयारी के साथ आया था लेकिन इन्होंने कल अपने भुंह पर पट्टी बांधे रखी। (विघ्न) कल तो ये मौन बैठे रहे।

श्री अध्यक्ष : मौन रखने से तो शक्ति का वर्धन होता है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये मौन तो नहीं रह सकते। कल तो इनकी मजबूरी थी इसलिए मौन रखे हुए थे। पीछे से इनके ऊपर किसी का दबाव था। जसबिन्द्र सिंह जी तो बीच बीच में बोलने की कोशिश कर रहे थे। (विघ्न)

श्री बलवंत सिंह : हम तो मौन इसलिए रखे हुए थे कि यदि हम बोलेंगे तो कहीं स्पीकर साहब हमें नेम करके हाऊस से बाहर न निकाल दें। इसलिए हम नहीं बोल रहे थे। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : मायना साहब, प्रोफेसर छतर सिंह चौहान की छत्रछाया में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये बड़े उदार, दयावान और दूसरों का ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं। आप विधान सभा की पीछे की कार्यवाही निकलवा कर देखें कि किसी भी अध्यक्ष के समय आज तक इतना अधिक समय विपक्ष को मिला हो जितना कि इन्होंने दिया है। इन्होंने अपनी उदारता का परिचय देते हुए, सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए विपक्ष को समय देने का एक नया इतिहास कायम किया है। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर जो विपक्ष के साथियों ने दिया था जो नोन सिरियस था, उसको अपने खिलाफ विचार करने के लिए हाऊस में रखा। इन द्वारा अपने खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने से सदन की गरिमा बढ़ी है। (शोर एवं विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह पादव : अध्यक्ष महोदय, जो बात अभी राम बिलास शर्मा जी ने कही क्या वह कही जानी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह जीरो आवर है या क्वेश्चन आवर है ? (विघ्न)

Construction of New Road

*266. Shri Balwant Singh : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new road from village Hassangarh to village Khurampur in Rohtak District; and

(b) if so, the time by which the said road is likely to be constructed ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) Road is likely to be completed by 31-3-1998 subject to availability of funds.

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहूंगा कि हसनगढ़ से खुरमपुर रोड बहुत ही जरूरी है इसलिए इसको बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि इस रोड के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। क्या वे इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे कि इस को इतने समय तक बनवा दिया जाएगा। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इसी वित्त वर्ष में इस को कम्प्लीट करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह सड़क साढ़े तीन किलोमीटर लम्बी है और इस पर 14 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। 3 लाख रुपये की राशि इस पर खर्च हो चुकी है और शेष राशि अभी और आने वाली है। जैसे ही और पैसा आएगा इसको बनवाने का कार्य शुरू हो जाएगा और मार्च, 1998 तक इसको कम्प्लीट करवाएंगे।

श्री बलवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री राम बिलास शर्मा जी से और अन्य माननीय मन्त्रियों से एक जानकारी चाहता हूँ कि राम बिलास शर्मा जी ने एक बात कही थी कि उन्हें पूरी तैयारी करनी पड़ती है। क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि जब आपने हर प्रश्न का जवाब "ना" में ही देना है तो फिर तैयारी किस बात की करनी पड़ती है ? (हंसी)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में पूरी तैयारी करके आना पड़ता है। आंकड़े वगैरा भी तैयार करने पड़ते हैं और आंकड़े मंगवाने भी पड़ते हैं।

श्री वन्ता राम वाल्मीकि : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि भेरे हल्के रादौर की सड़कें पिछले 10 साल से बनी हुई हैं। उनके बीच में दो पुल बनवाए जाने थे। बरसात के दिनों में वहाँ 15-20 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कत होती है और करीब तीन महीने उनकी पढ़ाई की छुट्टी हो जाती है। ये पुल राम नगर से कुण्डला बीकरी के बीच में बनने हैं। इसी प्रकार से बरगट में सड़क बनी हुई है लेकिन कम्प्लीट नहीं है। (विज) अध्यक्ष महोदय, एक सड़क गुड्डा गुड्डी की है जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत है क्या इस सड़क को बनवा कर लोगों को राहत देने बारे सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मवीर यादव : स्पीकर सर, इस प्रश्न का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। गुड्डा-गुड्डी किसी न किसी सड़क से कनेक्टिव है लेकिन आल्टरनेटिव सड़क नहीं है। अगर कोई खास दिक्कत होगी तो इसको असेस करवा लेंगे।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जिले में सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता है। इन सड़कों का निर्माण कार्य मन्त्री महोदय कब तक शुरू करवाएंगे। बाटा फलाई ओवर का शिलान्यास कांग्रेस राज्य में हुआ था। आधारशिला का जो पत्थर लगाया गया था लोग उसको भी उठा कर ले गए

[श्री चन्द्र भाटिया]

हैं। वर्ष 1997-98 में इस पुल के निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था भी की गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि इस बाटा पुल का कार्य कब तक शुरू करेंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, जितनी शीघ्र हमारे पास इन पुलों और सड़कों को बनाने के लिए फंड आएंगे उतनी शीघ्र हम काम शुरू करवा देंगे।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़ौती से जुण्डला सड़क को बनवाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है क्योंकि वहां पर अमाज मंडी है, हास्पिटल है और स्कूल यदि हैं। वहां पर लोगों को करनाल से होकर आना पड़ता है जिससे उनकी बहुत परेशानी होती है।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई भी सड़क बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर माननीय सदस्य बनवाना चाहते हैं तो ये इस बारे में हमें लिखकर भेज देंगे तो हम इसको देख लेंगे।

Opening of Government Colleges at Ellenabad and Rania

*389. Shri Bhagi Ram : Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Government colleges in Ellenabad and Rania towns of district Sirsa ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : इस बारे में कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा और मेरी इनसे रिक्वेस्ट भी है कि ऐलनाबाद और रानिया सिरसा से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है और सिरसा को छोड़कर इस परिये में लड़कों और लड़कियों का कोई भी कालेज नहीं है। इस साल सरकार कई नए कालेज हरियाणा में बनाने जा रही है। तो क्या ये वहां पर भी नए कालेज बनवाने का विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सब-डिविजन है और ऐलनाबाद इल्का शिक्षा के मामले में हरियाणा में काफी पीछे है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भागी राम जी को बताना चाहूंगा कि इस समय राजकीय महाविद्यालय नाथू-श्री-चौपटा, राजकीय महाविद्यालय सिरसा, गुरु हरि कृष्ण महाविद्यालय, जीवन नगर, सी०एम०के० नेशनल कालेज सिरसा, एस०डी० कालेज फार मर्लज डबवाली, भगवान श्री कृष्ण कालेज आफ डबवाली में 6 महाविद्यालय कुल मिलाकर के जिले में चल रहे हैं। अगर इन्होंने कोई महाविद्यालय बनवाया है या कोई संस्था वहां पर भवन बनाना चाहती है या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव वे लाएंगे तो ये बता दें हम उस बारे में सर्वेक्षण करवा लेंगे। दूसरा वहां पर अगर किसी ने जमीन दे रखी है, किसी ने भवन बनवा रखा है, इस तरह की कोई बात चौधरी भागी राम जी के पास है तो बताएं हम उस पर विचार कर लेंगे।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, अगर वहां पर कोई इनको जमीन दे और वहां पर भवन बना कर दे दे तो क्या मंत्री जी इस सदन में आश्वासन देंगे कि उसको टेक ओवर कर लेंगे।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई संस्था वहां पर उपयुक्त जमीन और उपयुक्त भवन महाविद्यालय के लिए बनवा कर दे तो हम इस बारे में जरूर विचार करेंगे।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, गुरु हरि कृष्ण महाविद्यालय है क्या सरकार इसको टेक ओवर करने का विचार करेगी ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भागी राम जी ने जो जीवन नगर के महाविद्यालय को ट्रेक ओवर करने के बारे में बात कही है, यह भामला जीवन नगर का नहीं है। इनकी रुचि तो रानिया और ऐलनाबाद में महाविद्यालय स्थापित करने में है। इन्होंने खुद कहा है कि हम जमीन दें, भवन दें, अगर ऐसी बात है तो हम इस बारे में विचार कर लेंगे।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, जब से यह सेशन चल रहा है तब से लेकर आज तक सरकार के मंत्रियों से जब भी सड़कों, पुलों और इसके अलावा किसी बारे में भी सवाल किया जाए तो यह सरकार कहती है कि शराब बंदी हो गई है, शराब बंदी कर दी है। हर बार यही बात कहते हैं। * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। भागी राम जी आप बैठ जाएं।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, ये स्कूल, कॉलेज की बात करते करते एकदम शराब पर आ जाते हैं। इनकी तो यही रुचि है। कॉलेज खुलवाने में इनकी कोई रुचि नहीं है। ये धूमफिरकर शराब पर आ जाते हैं। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : हमारे रिवाड़ी में केवल दो ही कॉलेज हैं जो कि पूरे जिले को कवर कर रहे हैं लेकिन हमारे यहां पर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है न लड़कियों ही का और न ही लड़कों का। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि अगर कोई गांव सरकार को प्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज खोलने के लिए जमीन दे दे जैसे कि मसानी गांव जमीन देने के लिए तैयार है तो क्या ये वहां पर कॉलेज खोलेंगे ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, कैप्टन अजय सिंह जी ने रिवाड़ी के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। मैं इनको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों, मैं और गृहमंत्री श्री मनी राम गोदारा जी वहां राव तुलाराम जी के जन्म दिवस समारोह में गए थे तब हमने वहां के रीजनल सेंटर का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखने की घोषणा की थी। पहले जब कैप्टन साहब मंत्री थे तब वह रीजनल सेंटर सरक सरक कर चलता था लेकिन अब वह तेजी से काम करने लग गया है। स्पीकर सर, जब कोई रीजनल सेंटर बनता है तब वहां पर कई कॉलेज शुरू होते हैं, एम०ए०की क्लास या अन्य प्रशिक्षण के कोर्सिज शुरू करते हैं। रिवाड़ी में तो के०एल०पी० एवं दूसरा कॉलेज पहले ही चल रहा है। ये मसानी गांव द्वारा जमीन देने की बात कह रहे हैं लेकिन मसानी गांव एक किनारे लगता है इसलिए वहां कॉलेज बनाना ठीक नहीं रहेगा और फिर अभी तो रिवाड़ी में कॉलेजिज के हिसाब से स्थिति ठीक ही है। हम वहां के रीजनल सेंटर का भी बड़ी तेजी से विकास कर रहे हैं।

Laying of Water Pipe Lines

*434. Shri Ramphal Kundu : Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to lay water supply pipe line in the streets of Sita Ram Colony, Shiv Colony, Gita Colony of Safidon Town ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगननाथ) : जी नहीं।

श्री रामफल कुंडू : स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब सरकार गांवों और शहरों में कोई फर्क नहीं रखना चाहती तो सरकार सफाई कस्बे की सीता राम कॉलोनी, शिव

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री रामफल कुंडू]

कालोनी, गीता कालोनी, राजीव कालोनी, आदर्श कालोनी में पीने का पानी देने में भेदभाव क्यों कर रही है ?

श्री जगननाथ : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं काली पट्टियों का जिक्र करूंगा तो फिर ये कहेंगे कि श्री जगननाथ ऐसा बोलते हैं। (विज्ज) सर, जो सवाल इन्होंने पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सीता राम कालोनी, गीता कालोनी और आदर्श कालोनी के अंदर हम सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट के द्वारा पानी दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी इनके शहर के अंदर 110 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी ये कालोनीज अनअथोराइज्ड हैं फिर भी हम इनको सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट के द्वारा ही पानी दे रहे हैं बाकी आने वाले समय में देख लेंगे।

श्री सिरि कृष्ण हुड्डा : स्पीकर सर, यहां पर कई मैम्बर्ज ने यह शिकायत की कि फलांना गांव में बीमारी फैल गयी क्योंकि वहां पीने का पानी खराब था। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे अपने विभाग को ऐसी हिदायतें जारी करेंगे कि बगैर शिकायत के ही हर साल हर एक पानी की डिग्गी को चैक किया जाए ? यह नहीं होना चाहिए कि बीमारी फैलने के बाद उनको चैक किया जाए। उसके बाद उनको चैक करने का क्या फायदा है ?

श्री जगननाथ : अध्यक्ष महोदय, ये तो कह रहे हैं कि हर साल पानी की डिग्गी को चैक किया जाए जबकि मैं यह कहता हूँ कि हर हफ्ते में हम इनको चैक कर रहे हैं। इसी वजह से कोई बीमारी पहले भी नहीं फैली है।

श्री सिरि कृष्ण हुड्डा : लेकिन हमारे यहां पर तो आपके विभाग का कोई जिम्मेदार आदमी आता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज़ पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Imposing Ban on Farmers

*397. **Shri Ramji Lal** : Will the Minister for forests be pleased to state-

- whether there is any ban on farmers on cutting trees from their fields which are notified under section 4 of Land Acquired Act; and
- if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to lift the ban as referred in part (a) above ?

वन राज्य मंत्री (श्री जगदीश यादव) :

(क) जी, नहीं। यद्यपि पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 के तहत भूमि में अधिकार धारकों के वास्तविक घरेलू अथवा कृषि प्रयोजन के सिवाय सफेदा और पापुलर को छोड़कर वृक्षों को काटना वर्जित है। परन्तु भू-स्वामी सम्बन्धित वन मण्डल-अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद वृक्षों को बेच सकते हैं। ऐसे अनुज्ञा पत्र में विक्री के लिए ऐसी शर्तें निहित होंगी जो वन संरक्षण के हित में समय-समय पर आवश्यक प्रतीत हों।

(ख) जी, नहीं।

Allotment of Industrial Plots

*403. **Shri Ram Pal Majra** : Will the Minister for Industries be pleased to state the number of industrial plots allotted by HSIDC during the period 1-6-1996 to 31-1-1997 in the State ?

उद्योग मंत्री (श्री शशि पाल मेहता) : हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने उन स्थापित औद्योगिक सम्पदाओं में 22 प्लॉट और 16 शेड इस अवधि में अलॉट किये हैं।

Distribution of Flood Relief

*426. **Shri Bhagi Ram** : Will the Minister for Revenue be pleased to state the districtwise details of the amount of flood relief sanctioned and disbursed to the farmers during 1995-96 and 1996-97 ?

राजस्व मंत्री (श्री सूरजपाल सिंह) : सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची

वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान बाढ़ राहत के लिए स्वीकृत तथा वितरित की गई राशि के जिलावार विवरण की सूची

क्र० सं०	जिला	1995-96 (रुपये लाखों में)		1996-97 (10-3-97 तक)	
		स्वीकृत की गई राशि	वितरित की गई राशि	स्वीकृत की गई राशि	वितरित की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	रोहतक	5242.00	5242.00	—	—
2.	भिवानी	2863.00	2728.09	—	—
3.	हिसार	3297.17	3296.04	—	—
4.	जींद	3552.76	3552.76	—	—
5.	सीनीपत	1026.65	1026.00	—	—
6.	कैथल	826.82	791.31	—	—
7.	सिरसा	360.85	320.94	—	—
8.	कुरुक्षेत्र	284.55	272.42	—	—
9.	यमुनानगर	150.35	150.35	—	—
10.	अम्बाला	472.76	468.83	—	—
11.	करनाल	405.53	220.33	—	—
12.	पानीपत	218.76	207.69	—	—
13.	फरीदाबाद	299.10	291.50	—	—

[श्री सूरजपाल सिंह]

1	2	3	4	5	6
14.	गुडगाँव	231.95	177.20	216.61	108.90
15.	रिवाड़ी	489.84	441.60	—	—
16.	महेन्द्रगढ़	44.04	23.61	6.43	0.36
17.	पंचकूला	163.00	156.53	—	—
	कुल जोड़	19929.13	19367.20	223.04	109.26

Amount of grant given to injured persons of Dabwali fire incident

*441. Shri Mani Ram : Will the Minister for Home be pleased to state-

- the total number of persons injured in Dabwali Fire Tragedy during the year 1995;
- the amount of financial assistance/grant given to persons as referred to in part (a) above; and
- whether the financial assistance/grant has been given to all the aforesaid injured persons, if not, the reasons thereof together-with the time by which the financial assistance/grant is likely to be disbursed to remaining persons ?

Home Minister (Shri Mani Ram Godara) :

- Number of injured persons in Dabwali Fire Tragedy : 110
- Out of 110 injured, as referred to in part (a) above, 27 seriously injured persons, who were eligible for ex-gratia grant, have been given Rs. 50,000 each.
- Only 27 persons referred to in part (b), have been given ex-gratia grant. It is intimated that as per Govt. instructions, an amount of Rs. 50,000 was to be paid to seriously injured persons who became handicapped in the Dabwali fire tragedy i.e. in cases where a person lost his/her leg, limb, eye etc. It is further submitted that as and when any person injured who identified as seriously injured, he was given ex-gratia grant as per Govt. instructions. Rest of the injured persons were provided free medical treatment or which Rs. 5,69,494 has been incurred by Civil Surgeon, Sirsa and expenditure of approximately Rs. 75.00 lacs have been spent by Director General, health Services, Haryana and Rs. 1.00 lac has also been incurred by District Red cross Society, Sirsa.

Upgradation of Primary School, Kheri Rojh

*300. Shri Balbir Singh : Will the Minister for Education be pleased to state, whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Primary School, Kheri Rojh, District Rohtak ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : वर्तमान में विद्यालय को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Old Age Pension at Door Steps

*360. Shri Nafe Singh Rathee : Will the Minister for Social Welfare be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide old age pension to the eligible persons at their door steps ?

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : सरकार द्वारा पहले ही लाभ पात्रों को पेंशन का लाभ उनके सम्बन्धित गांवों/वार्डों में दिया जा रहा है। वर्तमान प्रणाली, जो ठीक प्रकार से कार्य कर रही है, में किसी संशोधन करने का नया प्रस्ताव नहीं है।

Number of persons registered in the Employment Exchanges

*277. Shri Anil Vij : Will the Minister for Labour & Employment be pleased to state—

- the district-wise number of persons registered with the employment exchanges in the State during the years 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 and 1995-96 separately; and
- the number of persons out of those as referred to in part (a) above who have been given employment during the aforesaid period ?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री बृज मोहन सिंगला) :

(क) सूची अनुबन्ध 'क' पर रखी है।

(ख) सूची अनुबन्ध 'ख' पर है।

अनुबन्ध 'क'

तारांकित विधानसभा प्रश्न नं० 277 के भाग-क के उत्तर में वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत प्रार्थियों का जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है :

जिला	वर्ष के दौरान पंजीकृत हुए प्रार्थियों की संख्या				
	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
अम्बाला	22259	22677	25391	22562	17110
पंचकुला	—	—	—	—	45430
धमुनानगर	13152	13154	13627	12859	14524
कुरुक्षेत्र	8766	9795	10632	9578	10062
कैथल	8670	8961	8568	8148	8400

[श्री बृज मोहन सिंगला]

1	2	3	4	5	6
करनाल	17158	15217	15878	15785	17455
पानीपत	5229	12644	9052	8952	10885
रोहतक	20028	24117	23317	20329	22532
सोनीपत	14235	13185	13598	13043	17385
जींद	13471	12767	14244	12330	12074
भिवानी	14681	19758	16226	15658	15710
गुड़गाँवा	13001	13242	14252	13524	14841
फरीदाबाद	16760	18426	18332	18913	20027
महेन्द्रगढ़	8186	12433	8732	7999	8618
रिवाड़ी	7484	9425	8796	8889	9520
हिसार	25382	24753	25706	19960	24342
सिरसा	8435	8475	8645	8129	8983
योग	216897	239029	234996	216658	237898

नोट : जिला पंचकूला 15-8-1995 से अस्तित्व में आया है।

अनुबन्ध "ख"

तारांकित विधानसभा प्रश्न नं० 277 के भाग-ख के उत्तर में वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में रोजगार पर लगे प्रार्थियों का जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है :

जिला	वर्ष के दौरान रोजगार पर लगे प्रार्थियों की संख्या				
	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
अम्बाला	736	422	430	339	318
पंचकूला	—	—	—	—	534
धमुनानगर	442	288	281	130	1590
कुरुक्षेत्र	356	288	283	148	261
कैथल	316	104	157	152	107
करनाल	696	316	326	222	2222
पानीपत	202	101	144	176	183
रोहतक	572	299	314	514	887
सोनीपत	480	214	295	287	1759
जींद	318	162	204	247	289
भिवानी	415	141	116	238	306
गुड़गाँवा	367	142	351	423	1512

1	2	3	4	5	6
फरीदाबाद	587	415	451	355	2268
महेन्द्रगढ़	352	78	121	190	128
रिवाड़ी	236	137	299	232	123
हिसार	731	243	401	364	1523
सिरसा	288	186	311	639	716
योग	7094	3536	4484	4656	14789

- नोट : 1. रोजगार कार्यालयों में प्रार्थियों का पंजीकरण तथा उनका नौकरी पर लगना एक निरन्तर प्रक्रिया है। वर्षवार प्रार्थियों के पंजीकरण में से नौकरी पर लगे प्रार्थियों के आंकड़े नहीं रखे जाते इसलिए किसी अवधि विशेष में नौकरी पर लगे प्रार्थियों की संख्या का उसी अवधि में पंजीकरण की संख्या से कोई सम्बन्ध नहीं है।
2. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रोजगार कार्यालय सहायता उपलब्ध करवाने वाली कई एजेंसियों में से केवल एक है।
3. जिला पंचकूला 15-8-1995 से अस्तित्व में आया है।

Illegal possession on the land of P.G.I. M. S. Rohtak

*414. Dr. Virender Pal Ahlawat : Will the Minister of State for Medical Education be pleased to state—

- (a) whether any case of illegal possession on the land of P.G.I., Rohtak has come to the notice of the Government, if so, the details thereof; and
- (b) the steps taken or proposed to be taken to get the said land vacated therefrom ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार मड़िया) :

(क) जी हां। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक की जिस भूमि पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया हुआ है इस प्रकार है :-

- (1) संस्था की चार दिवारी की पश्चिमी दिशा के साथ लगती चिनोट कालोनी रोहतक में स्थित 7400 वर्ग गज़ भूमि।
- (2) दिल्ली-रोहतक रेलवे लाइन के साथ लगती श्रीनगर कालोनी में स्थित 19327 वर्ग गज़ भूमि।
- (3) मैडिकल मोड़ (दिल्ली रोड़) रोहतक पर स्थित 789 वर्ग फुट भूमि।
- (4) दिल्ली रोड़ रोहतक पर संजय कालोनी में स्थित 1560 वर्ग गज़ भूमि।

(ख) पंडित भगवत दयाल शर्मा, स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक की चारदिवारी के साथ लगती चिनोट कालोनी में स्थित 7400 वर्ग गज़ भूमि स्टाफ क्वार्टर बनाने हेतु 1978 में पुनर्वास विभाग से खरीदी गई थी। इस भूमि पर 1990 में कुछ व्यक्तियों ने धीरे धीरे

[श्री विनोद कुमार मड़िया]

नाजायज कब्जा कर लिया। जब भूमि खाली कराने का प्रयास किया गया तो ये लोग सिविल कोर्ट, रोहतक से 1990 में स्थगन आदेश ले आये। जमीन की निशानदेही फरवरी, 1994 में कराई तथा 40 नाजायज कब्जा कर्ताओं के विरुद्ध अप्रैल, 1994 में सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत क्लैक्टर, रोहतक के न्यायालय में मुकदमें किये और इन 40 मुकदमों के फैसले इस संस्था के हक में सुनाये गये। परन्तु इनमें से 27 आदमियों ने सिविल कोर्ट रोहतक में सिविल सूट दायर किये जिसकी अगली तारीख 17-3-97 है। सभी 27 केसों में स्थगन आदेश मिले हुए हैं।

दिल्ली-रोहतक रेलवे लाईन के साथ लगती श्रीनगर कालोनी, रोहतक में स्थित 19327 वर्ग गज़ भूमि सरकार ने 1976 में मैडिकल कालेज रोहतक के विस्तार हेतु अधिग्रहण की थी। 1994 में संस्था ने चारदिवारी बनानी शुरू की तो 6 नाजायज कब्जा कर्ता सिविल कोर्ट, रोहतक से स्थगन आदेश ले आये। यह केस श्री ए०के०बिमल, सी०जे०एम०रोहतक की कोर्ट में अभी तक चल रहे हैं। अगली तारीख 19-9-97 नियत की हुई है। इस संस्था की 1560 वर्ग गज़ भूमि संजय कालोनी (दिल्ली-रोहतक रोड) में स्थित हैं, जिस पर 24 आदमियों ने नाजायज कब्जे किये हुए हैं। जिनके विरुद्ध सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत 17-1-97 को क्लैक्टर, रोहतक के न्यायालय में मुकदमें किये हुए हैं और यह सभी केसिज़ चल रहे हैं और इन केसिज़ की अगली तारीख 26-3-97 लगी हुई है।

मैडिकल कालेज रोहतक के मैडिकल मोड़ पर स्थित 789 वर्ग फुट भूमि पर भी 4 व्यक्तियों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इस संस्था ने जुलाई, 1995 में सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत क्लैक्टर, रोहतक के न्यायालय में केस दायर किया। ये केसिज़ चल रहे हैं।

Compensation to the Farmers

***431. Shri Ram Phal Kundu :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that compensation is being paid to farmers in whose field big electricity lines have been installed, if so, the time by which the farmers of Safidon constituency are likely to be compensated ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Yes, Sir. Compensation is paid to the farmers for damage to the crops during construction of transmission lines as well as for the land falling under the towers of transmission lines, wherever claimed. No transmission line has been constructed recently by the Board in Safidon constituency and there is no pending representation for land compensation with HSEB with regard to this constituency.

Allocation of Coal to the Thermal Power Plants

***392. Shri Jai Singh Rana :** Will the Chief Minister be pleased to state the total quantity of coal allocated and supplied separately to the various Thermal Power plants in the State during the year 1993-94, 1995-96 and 1996-97 ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : A statement is laid on the table of the House.

Statement

The details in respect of coal supplied to Thermal Power Stations in the State during the years referred to in the question are as follows :—

	Quantity of coal in Metric Tonnes		
	1993-94	1995-96	1996-97 (Upto 1/97)
Panipat Thermal Project			
-Allocated	2760000	2640000	2300000
-Supplied	1676586	1878650	1841704
Faridabad Thermal Project			
-Allocated	780000	900000	685000
-Supplied	578781	671420	517092

Masani Barrage

*328. **Capt. Ajay Singh Yadav** : Will the Chief Minister be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to erect a wall and install shutters at Masani Barrage;
- if so, the time by which the above-said proposal is likely to be implemented; and
- whether full compensation to the farmers whose land was acquired for the barrage as referred to in part (a) above has been paid, if not, the reason there of ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :

- Yes Sir.
- Temporary wall has since been completed. However, hoisting arrangements will be got ready for installation as early as possible.
- Full compensation for land acquired has since been paid.

Setting up of VI Unit in Panipat Thermal Plant

*235. **Shri Krishan Lal** : Will the Chief Minister be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set up 6th power production unit of 210 M.W. in Panipat Thermal Power Plant;
- if so, the time by which the aforesaid unit is likely to be set up ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :

(a) Yes, Sir.

(b) This unit was planned to be constructed through Plan Funds. The work was taken up in the year 1990 and was scheduled to be completed by March, 1994. However, due to paucity of funds, the work could not progress. Various modalities to resume work on this unit are presently under consideration. It will take about 30 months to complete this unit from the start of work.

विभिन्न विषयों का उठाया जाना/सदन की कार्यवाही में सुधार के लिए सुझाव देना

श्री जसविंद्र सिंह संघु : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में पहले विपक्ष को बोलने का समय दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Zero hour is not only meant for the opposition, it is meant for all please.

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले आप हमारी सबमीशन सुन लें। जीरो आवर में अपोजीशन को पहले टाइम देना चाहिए। जब भी जीरो आवर आता है पहले सतनारायण लाठर जी खड़े हो जाते हैं, यह रोज का काम है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले लाठर साहब, बोलेंगे उसके बाद बलवंत सिंह मायना बोलेंगे। (शोर एवं विघ्न)

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : * * * * *

श्री बलवंत सिंह : * * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो कुछ भी कह रहे हैं, उसे रिकार्ड न किया जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज बजट सत्र का अंतिम दिन है, हल्के दिल से जाइए। खूब बोलकर जाइए। जितना कहेंगे उतना समय दूंगा। (विघ्न)

श्री सतनारायण लाठर : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से आपने विपक्ष को खुले मन से बोलने का समय दिया और इतना समय दिया कि हरियाणा विधान सभा में यह रिकार्ड है। 1 नवंबर 1966 से अब से हरियाणा बना है इतना समय विपक्ष को कभी नहीं दिया गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि विपक्ष के विधायकों को बुलाओ और सत्तापक्ष के किसी भी विधायक को समय नहीं दिया गया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आज के अखबारों में श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला ने चिट्ठी सप्लाई की है और उसमें उसने कहा है कि विपक्ष को समय नहीं दिया जा रहा है जबकि परसों और कल जितना समय सुर्जेवाला ने और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने लिया है यह सबकी पता है। क्योंकि सभी विपक्षी सदस्यों का समय तो ये दो आदमी खा गए और आज सुर्जेवाला जी कहते हैं कि समय नहीं दिया जा रहा है। इतना समय देने के बावजूद भी इनकी बोलने की तमन्ना पूरी नहीं हो रही है। चिट्ठी सप्लाई करने वाला आज इस सदन में है ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविंद्र सिंह संघु : स्पीकर साहब, आप इन्हीं को समय दे रहे हो, हमें तो बोलने का समय दे ही नहीं रहे। (विघ्न)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Shri Jaswinder Singh, I warn you, you please take your seat. (Interruptions).

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, विपक्षी साथी अपनी बात कहने के लिए तो एक घंटे तक खुलकर भाषण देते हैं- इस सदन की गरिमा को घटाते हैं और सदन को गुमराह करते हैं वे अपनी बात तो कह देते हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनते। (विघ्न) चौधरी बीरेन्द्र सिंह 1991 में मुख्यमंत्री पद के लिए वोट मांगकर आये थे और उन्होंने यहाँ पर खुद चौधरी भजनलाल जी के नाम का प्रस्ताव किया तथा खुद उनकी सरकार में मंत्री बन बैठे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी तो कहते थे कि तीनों लालों से बचो और अब खुद चौधरी भजनलाल जी के साथ बाक आउट करते हैं और उनकी पैरवी भी करते हैं (शोर एवं व्यवधान) पिछली विधान सभा में चौधरी बीरेन्द्र सिंह 'ए' और 'बी' टीम का जिक्र करते थे अब ये देख लें कि ए और बी टीम कौन सी है (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या ये कोई बातें कहने की हैं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब आप नये सदस्य तो हैं नहीं, आप तीसरी बार चुनकर आये हैं। मंत्री भी रहे हैं उनकी बात सुनिये फिर अपनी बात कहना। आप ही ऐसा करेंगे तो मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि आप कृपया बैठिये।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के भाईयों को बताना चाहता हूँ कि सजापा पार्टी वाले किस तरह 'ए' और 'बी' टीम की बात करते थे। अब इनका असली रूप देखो कैसे आपस में मिलकर बातें करते हैं और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता उनका असली रूप देख रही है। 1987 में चौधरी देवीलाल और चौधरी औमप्रकाश चौटाला की सरकार रही उस समय इन कांग्रेसियों को विधानसभा में घुसने नहीं दिया जाता था, बाहर ही इनके कपड़े फाड़ दिये जाते थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है कि पहले आप इस सदस्य की बात सुनें फिर अपनी कह लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वे भी ऐसा ही करेंगे (विघ्न) हुड्डा साहब, जब आपको टाइम दिया जाता है, तब तो आप बैठे रहते हैं। (विघ्न)

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्हें बताना चाहता हूँ कि आज चौधरी बीरेन्द्र सिंह चौटाला साहब की पैरवी कर रहे हैं और जब चौटाला साहब की सरकार थी और चौधरी बीरेन्द्र सिंह की पार्टी के पांच आदमी चुनकर आये थे तो इन्हें विधानसभा में घुसने नहीं दिया जाता था। बाहर से ही वापस कर दिया जाता था और आज ये उनकी पैरवी कर रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जबानी के 16 साल चौधरी देवीलाल और चौधरी औमप्रकाश चौटाला के लिए गुजारे हैं अगर इन्होंने मात्र चार महीने के लिए मुझे इफैड का चेयरमैन बना भी दिया तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया था उसके लिए ये बार-बार दुहाई दे रहे हैं जबकि उस समय चौधरी देवीलाल जो कुछ थे वे हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के कारण ही थे इसलिए उनका मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी की तो सारे हरियाणा प्रदेश की जनता ऋणी है, इनका मुकाबला ये लोग कहाँ कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार शोरेवाला और मड़िया जी का जिक्र करते हैं। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि 1987 में ये 85 एम०एल०ए० चुनकर आये थे लेकिन जब श्री धनिकलाल मंडल जी ने चौटाला साहब को बहुमत साबित करने का कहा तो चौटाला साहब अल्पमत में थे। इसीलिए तो जो चौटाला साहब कारनामे करते हैं उसी के कारण शोरेवाला जी और मड़िया जी इनको छोड़ कर आये हैं हमने इनको खरीदा नहीं है कोई तालाब नहीं दिया है। (विघ्न)

[श्री सतनारायण लाठर]

अध्यक्ष महोदय, 1977 में हरियाणा की जनता ने चौधरी देवी लाल जी को 76 एम०एल०ए० दिये थे लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी के कारनामों से सिर्फ 36 एम०एल०ए० ही उनके पास रह गए थे और 40 एम०एल०ए० इनका साथ छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। 1982 में हरियाणा की जनता ने चौधरी देवी लाल जी को 50 एम०एल०ए० दिये थे लेकिन इनके पास सिर्फ 9 एम०एल०ए० ही रह गये थे तथा बाकी 41 एम०एल०ए० श्री ओम प्रकाश चौटाला के कारनामों की वजह से इनका साथ छोड़ गए थे। अध्यक्ष महोदय, इनके कारनामों में कहां तक बताऊँ ? इन्होंने सत्ता पक्ष के बेंचों पर बैठकर विपक्ष के नेताओं के साथ क्या-क्या नहीं किया। श्री कृपा राम पूनिया एक हरिजन नेता का श्री ओम प्रकाश चौटाला ने जीद में मुँह काला करवाया। (शोर)

Mr. Speaker : Lathar Sahib, I would request you to avoid controversy.

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथियों को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने श्री बनारसी दास गुप्ता जी पर सरेआम गोलियाँ चलवाईं। (शोर)

Mr. Speaker : Please conclude now.

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने महापतिम राज्यपाल महोदय का फरीदाबाद में मुँह काला करवाया था। इन लोगों के कारनामों से सारे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। आज ये कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, जिन्होंने लोगों पर सरेआम गोलियाँ चलवाई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन कांग्रेसी साथियों को भी बताना चाहता हूँ कि आज ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये अपने दिन भूल गये हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप कितना समय और लेंगे ?

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में ही अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। आज चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी तीनों "लालों" की बात करते हैं। (शोर)

Mr. Speaker : Please conclude now.

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, इनका जो रूप है, वह सारी जनता को पता है कि ये कैसे विधान सभा में आए हैं। आज ये हमारे ही लोकसभा के उम्मीदवार के साथ समझौता करके विधान सभा में बैठे हैं वरना ये विधान सभा में नहीं पहुँच सकते थे। (शोर)

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटेंशन मोशन दिया था, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि उसका क्या बना ?

श्री अध्यक्ष : आपका जो काल अटेंशन मोशन था, वह आज सुबह 8 बजे ही आया है। That is under consideration.

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, दो दिन शाहबाद शूगर मिल बंद रही है। इससे किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ है। यह किसानों के हितों से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है। इस पर अवश्य ही गौर किया जाना चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सभी बैठ जाइए, अब मायना साहब बोलेंगे।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर सर, 5 तारीख से इस सदन की कार्यवाही धल रही है। विधान सभा में परम्परा के अनुसार ट्रेजरी बँचिज़ और अपोजीशन बँचिज़ आमने सामने होते हैं, जिस प्रकार से आज हम बैठे हुए हैं। यहां पर सभी विधायक अपने अपने इलाके अथवा हल्ले की रिपोर्ट लेकर के आते हैं

तथा जहां कहीं भी कोई खामियां अथवा कमियां होती हैं, उनको वह आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं क्योंकि हमेशा सरकारी बैचिज पर बैठने वाले सदस्य बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अपनी सरकार के सामने नहीं कह सकते। वह बातें इसलिए सरकार के सामने नहीं आ पाती क्योंकि सरकारी बैचिज पर बैठने वाले माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि अगर हम यह बात हाउस के सामने कहेंगे तो उस बात से मुख्य मंत्री जी नाराज न हो जाएं। सरकार की कुछ गलतियां होती हैं लेकिन उन गलतियों को सरकारी बैचिज पर बैठने वाले सदस्य उजागर नहीं कर सकते।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा जिक्र करते हुए कहा है कि सरकारी बैचिज पर बैठने वाले माननीय सदस्य सरकार की गलतियों को उजागर नहीं कर सकते क्योंकि मुख्य मंत्री उनसे नाराज हो जाएगा। मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप इस बात को मान कर चलें कि मैं किसी भी मੈम्बर को यह नहीं कहता कि आप सरकार की खामियां न बताएं।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर साहब, मैं तो यह कहा है कि वे मੈम्बर बता नहीं पाते। इसलिए सदन में अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। स्पीकर साहब, हमारी पार्टी के अपोजिशन लीडर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां हाउस में बैठे हुए थे और उस समय ऐसी कोई इस किस्म की बात नहीं कही गई थी जिसकी बिना पर उनको सदन से निलम्बित कर दिया गया। आप भी देख रहे थे, सारा सदन देख रहा था, प्रेस भी देख रही थी, उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही थी फिर भी उनको निलम्बित कर दिया गया। इसी प्रकार से हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री धीरपाल जी को आपने निलम्बित कर दिया और इसी प्रकार से हमारी पार्टी के सदस्य श्री रमेश कुमार खटक को भी आपने निलम्बित कर दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने चौधरी भजन लाल जी को भी निलम्बित कर दिया। उन सभी को आपने पूरे सेशन के लिए निलम्बित कर दिया।

श्री अध्यक्ष : उनको मैंने निलम्बित नहीं किया यह तो हाउस का फैसला था।

श्री बलवंत सिंह : वह फैसला भी तो आपके माध्यम से ही हुआ था। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने फैसले को रिव्यू करें और उनको सदन में बुलाएं। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने भी उस दिन यह कहा था कि उनको सदन में बुलाया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, आप हाउस के कस्टोडियन हैं। हम आप से यही उम्मीद करते हैं।

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : स्पीकर साहब मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर)

श्री जसविन्द्र सिंह संघु : स्पीकर साहब, क्या जीरो आवर में प्वायंट ऑफ आर्डर रोज किया जा सकता है ? (शोर)

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर सर, मैं सबमिशन कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुनें। उनको हाउस से सर्पैंड करने का फैसला हाउस ने किया था। आप स्पीकर साहब को बीच में क्यों लाते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो हाउस का फैसला था मैंने उनको सर्पैंड नहीं किया। (शोर)

श्री जसविन्द्र सिंह संघु : स्पीकर साहब, * * * * * (शोर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो कुछ भी बोल रहे हैं nothing to be recorded.

श्री बंसी लाल : हमने उनको सर्पैंड करने का जो फैसला किया हम उस पर कायम हैं। अब बोलो आप और क्या कहना चाहते हैं। (शोर)

Mr. Speaker : All of you please sit down. Now, Balwant Singh maina will continue.

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर साहब, मेरे कहने का भाव यह था(शोर)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी पार्टी के मੈम्बर को ही नहीं बोलने देना चाहते। कम से कम आप अपनी पार्टी के मੈम्बर को तो बोलने दें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य सदन से सर्पैंड किए गए हैं वह हाउस का फैसला है उसमें स्पीकर का कोई हाथ नहीं है। (शोर)

श्री बलवंत सिंह : सर, आपके माध्यम से ही उनको सर्पैंड किया गया है। (शोर)

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज ये दूसरा ** कर रहे हैं। जिस ढंग से ये ** कर रहे हैं उस ढंग से तो चौटाला साहब वापस आने से रहे। (शोर एवं विज)।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये बीच में इन्ट्रैप्ट मत करें। इस शब्द को एकस्पेंज कर दें।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा था कि जिन सदस्यों का मैंने नाम लिया उनके न होने से हाउस की कार्यवाही में सूनापन सा लग रहा है। (विज)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, इनके पास कहने को तो कुछ है नहीं। (विज)

श्री अध्यक्ष : मेरा पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि आप बैठ जाये, पहले मायना साहब को अपनी बात कह लेने दें।

श्री सिरि कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे लीडर न होने की वजह से जितनी हाउस में डिस्कशन हुई है उसमें अधूरापन सा लगता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सेशन का आज आखिरी दिन है। हम आज की कार्यवाही खत्म होने पर घर जाएंगे तो लोगों के सामने हम क्या बता पाएंगे, क्या कहेंगे कि हमारे दो सदस्यों को हाउस से गलत निकाल दिया गया। सरकार बहुत से बिल ले कर आई है। लेकिन एक चीज जो मेरी जानकारी में आयी है, हो सकता है कि वह बात सत्य न हो लेकिन सुना जा रहा है कि यह सरकार 400 करोड़ रुपये के टैक्स हरियाणा की जनता पर लगाना चाहती है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके जरिये और पूरे विपक्ष को विश्वास दिलाता हूँ कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं। (शोर)

Shri Jaswinder Singh Sandhu : Sir

Mr. Speaker : Please take your seat.

Shri Jaswinder Singh Sandhu : Mr. Speaker, Sir,

Mr. Speaker : I warn you.

Shri Jaswinder Singh Sandhu : Sir,

Mr. Speaker : You are not allowed to interrupt. Please take your seat.

Shri Jaswinder Singh Sandhu : Sir,

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो विपक्ष के साथी बार-बार यह कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया और इस बारे में प्रेस में भी कुछ लिखा है। इस बारे में मेरा कहना यही है कि प्रेस में कुछ भी आये उनको लिखने की पूरी स्वतंत्रता है, कुछ लिखें और आप भी कुछ कहें आपको भी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन जो रिकार्ड है, जो सच्चाई है, वह मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ। गवर्नर एड्रेस पर टोटल समय दिया 558 मिनट जिस में से ट्रेजरी बैचिज 238 मिनट और आपोजीशन 320 मिनट। इसी प्रकार डिस्कशन ऑन बजट टोटल समय 496 मिनट, ट्रेजरी बैचिज 195 मिनट और आपोजीशन 301 मिनट। डिमाण्ड्स फार ग्रान्ट्स पर 226 मिनट का समय दिया गया,

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकात्त दिया।

जिससे ट्रेजरी बैचिज 14 मिनट और आपोजीशन 212 मिनट। एप्रोप्रियेशन बिल नं०-1 तथा 2, पर 104 मिनट का समय दिया गया जिसमें केवल ट्रेजरी बैचिज 26 मिनट और आपोजीशन 78 मिनट्स। इसी प्रकार कल लोकपाल बिल पर ट्रेजरी बैचिज केवल 8 मिनट, श्रीमती करतारी देवी 10 मिनट, रामपाल माजरा 11 मिनट, रणवीर सिंह सुरजेवाला 47 मिनट्स, मनी राम 5 मिनट्स, वीरेन्द्र सिंह 45 मिनट्स, कैप्टन अजय सिंह 14 मिनट, कुल मिला कर टोटल 132 मिनट्स का समय दिया गया। ऊपर दी गई स्थिति से यह स्पष्ट है कि आपोजीशन को बोलने के लिए ट्रेजरी बैचिज से काफी ज्यादा समय मिला है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने, जो मैम्बर्स बोलें हैं उनके आंकड़े पढ़ कर हाउस में बताए हैं हर चीज में आपोजीशन वाले मैम्बर्स को बोलने के लिए आधे से ज्यादा समय मिला है फिर भी ये लोग कहते हैं कि बोलने के लिए टाइम नहीं मिला है इससे ज्यादा इनको और कितना टाइम दिया जा सकता है? जैसे ये लोग अगर अपनी गाड़ियों में बैठ कर घर जाना चाहें तो इनकी मर्जी है (हंसी)

श्री धर्मवीर गावा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत जरूरी चीज हाउस में कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें हाउस में रखना चाहता हूँ। एक तो मेरी अर्ज है कि यहाँ पर हाउस में क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। हर मैम्बर यह चाहता है कि अपनी कांस्टीच्यूएन्सी के बारे में सवाल पूछे और यह उनका हक भी है कि लोगों को पेश आ रही दिक्कतों की तरफ वह सरकार का ध्यान दिलाएं और जो सुविधाएँ लोगों को मिलनी चाहिए उस बारे में सरकार से मांग करें। अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी गुजारिश है कि पिछले 11 दिनों में सेशन के दौरान जो सबसे बड़ी कमी नज़र आई है वह यह है कि कई मैम्बर साहेबान ने अपनी-अपनी कांस्टीच्यूएन्सी के बारे में सवाल पूछे हैं। आप इतनी मेहरबानी कीजिए कि एक या दो सवाल ऐसे भी होने चाहिए जो स्टेट पोलिसीज को प्रोजेक्ट करते हुए पूछे जाएँ। यह आपका डिस्क्रिशन भी है। जैसे हर कोई मैम्बर अपनी कांस्टीच्यूएन्सी के बारे में पूछता है कि मेरे हत्के में फलां जगह पर कॉलेज खुलना है या कोई स्कूल अप ग्रेड होना है। एजुकेशन मिनिस्टर यह जवाब देते रहे कि हाँ या नहीं। बजाए इसके कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें स्टेट पोलिसी भी आ जाए और क्राइटीरिया भी पता लग जाए तथा स्कूल कहाँ कहाँ अपग्रेड होने हैं यह भी पता चल जाए या कांस्टीच्यूएन्सी बाईज अपग्रेडेशन के बारे में ये बता दें। एक-दो सवाल ऐसे जरूर होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अपनी कांस्टीच्यूएन्सी के बारे में सवाल पूछने का मैम्बर का राइट है कि उन्हें क्या पूछना है।

श्री धर्मवीर गावा : अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी यह सबमिशन थी कि जैसे कि एक सवाल लगा हुआ था कि हमारे शूगर मिल्ज में कितने लोसिज़ हैं। इसमें सारी शूगर मिल्ज के आंकड़े आ जाएँ जिससे एक एक मैम्बर को पार्टिकुलरली न पूछना पड़े इससे हाउस का समय भी बचेगा। मेरी सबमिशन है कि ऐसा कोई सिस्टम आप एडोप्ट कीजिए।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से भी आप ठीक समझें या आपोजीशन वाले ठीक समझें उसी तरह से लगा दें हमें कोई एतराज़ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी लगे सरकार को तो जवाब देना ही है।

श्री अध्यक्ष : गावा साहब, आप तो स्वयं मंत्री रहे हैं आपको पता ही है कि क्वेश्चन का एक सिस्टम होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विड के आधार पर क्वेश्चन लगाए जाते हैं। मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को शतानुवाहूँ कि रूलज़ कमेटी में मैं चेयरमैन हूँ और ये भी माननीय सदस्य हैं। हरियाणा में हमने एक नई परम्परा शुरू की है। पहले प्रश्नकाल की लिस्ट में 12 प्रश्न होते थे अब 20 प्रश्नों का फैसला इस कमेटी ने किया है।

11.00 बजे श्री धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी रिक्वेस्ट एक और है। इस बारे में बलबन्त सिंह जी ने भी कहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सेशन खत्म होने के 6 महीने बाद दोबारा मिलते हैं तो बजाए इसके कि एक दूसरे को कुछ कहें हमें एक नए माहौल में मिलना चाहिए, स्टेट के बारे में, लोगों के बारे में भलाई के कामों के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है।

श्री सिरौ कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सजेशन था वह मैंने कह दिया था और चीफ मिनिस्टर साहब ने उस बारे में बता भी दिया है। अब आप हमारी पार्टी के जसविन्द्र सिंह को बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी की तरफ से बलबन्त सिंह मायना बोल चुके हैं अब वीरेन्द्र सिंह जी बोलेंगे। (विज) अब आप बैठ जाएं। भागी राम जी, आप भी बैठ जाएं। सबको बोलने का समय दिया जाए। (विज) ठीक है जसविन्द्र सिंह जी आप पांच मिनट बोलें।

श्री जसविन्द्र सिंह संघु : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान मेरी कांस्टीच्यूएंसी से होकर गुजरने वाली मारकंडा नदी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उसकी दायी तरफ निर्मल सिंह जी का हल्का पड़ता है वहां पर बांध बनाने का विचार है। अगर ऐसा होगा तो वहां पर 1.5 डेरे उठाने पड़ेंगे, पांच सौ एकड़ जमीन और एक गुरुद्वारा भी बीच में आ जाएगा। जिससे लोगों को नुकसान होगा। इस बारे में सीफ इंजीनियर इरीगेशन से भी लोग मिले थे कि उसकी थोड़ा अन्दर की तरफ बनाया जाए। अगर उसकी अन्दर की तरफ बनाते हैं तो वहां पर एक डेरा ही आता है जिसको वहां के लोग हटाने को तैयार है। इस बारे में ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही इस नदी की बाईं ओर एक बांध बना हुआ है वह काफी पुराना है। अगर दाईं ओर ये बांध बन गया तो उस पुराने बांध के टूटने का खतरा है जिससे काफी नुकसान हो जाएगा। क्या ये उस बांध को भी पक्का बनावाने का विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर ये बांध जो नया बनाने जा रहे हैं थोड़ा अन्दर से बनवाएंगे जिससे वहां पर जो डेरे हैं और गुरुद्वारा है वे बच जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम पिछले चार दिनों से जीरो ऑवर में हमारे लीडर ऑफ दी आपोजीशन श्री ओम प्रकाश चौटाला, हमारे अध्यक्ष श्री धीरपाल सिंह, रमेश कुमार खटक और कांग्रेस विधायक दल के नेता चौधरी भजनलाल जिन को आपने निष्काशित किया हुआ है, को वापस हाउस में बुलाने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा है कि यह तो हाउस का फैसला है परन्तु अध्यक्ष महोदय, हमने तो इस हाउस के फैसले को नहीं माना। अखबारों के ऐडीटोरियल कॉलम में इस बारे में काफी छपा है। आपकी कुर्सी की भी और आपकी काफी उनमें चर्चा हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस बार यह जो परम्परा डाली गई है, वह बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जब भी बोलने का टाईम देते हैं तो वह ट्रेजरी बैचिज वालों को ही देते हैं। लाठर साहब तो दो दिन से जीरो ऑवर में बोल रहे हैं लेकिन आपने हमें समय नहीं दिया। जबकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र सिंह जी, ऐसा है कि मैंने आपको रिकार्ड की बात बतायी है। चाहे बजट पर बोलने की बात हो, चाहे गवर्नर रेजुस पर बोलने की बात हो, चाहे ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने की बात हो या फिर चाहे डिमांडज पर बोलने की बात हो, आप यह नहीं कह सकते कि मैंने आपको बोलने का समय नहीं दिया। आप तथ्यों से बाहर नहीं जा सकते।

श्री जसविन्द्र सिंह संघु : स्पीकर सर, लाठर साहब तो रोजाना जीरो ऑवर में बोल लेते हैं वे तो हमारी सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं उनको तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। इसके अलावा हमारी पार्टी के सदस्य अशोक कुमार जी ने आपको जो कॉलिंग अटेंशन मोशन के नोटिस दिया था कि शाहबाद की शूगर मिल दो दिनों तक बंद रही। उसका भी आपने कुछ नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : आपका यह मोशन अभी अंडर कंसीड्रेशन है।

श्री वंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जसविन्द्र सिंह जी ने जो मारकंडा नदी पर बांध बनाने की बात कही है। मैं इनकी बताना चाहूंगा कि हम आज ही इस बारे में इंजीनियरिंग को आदेश दे देंगे कि वे इसको धैर्य करके मुझे रिपोर्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर तो आधे घंटे का होता है लेकिन अब तो 35 मिनट से भी ज्यादा हो गए हैं इसलिए अब तो आपको लैजिसलेटिव बिजनेस शुरू करना चाहिए।

डा० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक छोटी सी सबमिशन करनी है।

श्री अध्यक्ष : अभी आप बैठें।

वाक-आउट

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, मुझे भी अपनी बात कहने के लिए समय दें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें और श्री बीरेन्द्र सिंह को बोलने दें।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, आपने तो मुझे बोलने का समय ही नहीं दिया है। न आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया और न ही मैं गवर्नर के अभिभाषण पर बोला हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए और बीरेन्द्र सिंह जी को अब बोलने दें।

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं देते हैं तो मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूँ।

(इस समय समता पार्टी के माननीय सदस्य श्री भागीराम सदन से वाक-आउट कर गए)

विभिन्न विषयों का उठाया जाना/सदन की कार्यवाही में सुधार के लिए सुझाव देना (पुनरारम्भ)

स्थायीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक सबमिशन है। सर, जैसा आपने इनको टाईम के बारे में बताया कि आपने इतना-इतना टाईम अपोजीशन को बोलने के लिए दिया है। लेकिन आप यह भी बता दें कि इन्होंने अभी तक वाक-आउट कितनी बार किया है ताकि सबको पता तो लगे कि ये सिर्फ वाक-आउट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पहले इन्होंने यह कहा था कि हम कोई नया * * * * * करने के लिए आए हैं।

श्री अध्यक्ष : ये इनका झामा वाला शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि इन्होंने आज बिल्कुल नया तरीका अपनाया था तो ये हमें बता दें कि वह नया तरीका क्या था ? (विज)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें और बीरेन्द्र सिंह को बोलने दें।

* चैयर-के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो बात बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं इसे कार्याही में रिकार्ड न किया जाए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, गाबा साहब ने जो बात कही है यह ठीक है कि क्वेश्चन बाई डा आफ लौट होते हैं लेकिन यह बात सही है कि सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो उसमें से 80 प्रतिशत क्वेश्चन ऐसे हैं जो नीति संबंधी नहीं है और नीति संबंधी क्वेश्चन आया भी तो वह पीछे चला गया।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, आप भी रूलज़ कमेटी में हैं और मैं भी रूलज़ कमेटी में हूँ इस बारे रूलज़ कमेटी में फैसला कर लेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जीरो-आवर का मतलब यह नहीं है कि कोई भी खड़ा होकर किसी टाईम कुछ भी बोलना चाहे तो बोले। वह चाहे विपक्ष का हो या ट्रेजरी बेंचिंग का हो। उसमें एक तरीका यह है जिससे कि जीरो-आवर की परपजफुलनेस नजर आए और जीरो आवर में कोई मेंबर बोलना चाहे he must give in writing before the start of the session of that particular day, so that he has the right to speak during zero hour, Sir.

श्री अध्यक्ष : इस बारे में भी रूलज़ कमेटी में डिसाइड कर लेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : जहां तक वाक-आउट की बात है तो वाक-आउट करना हमारा अधिकार है। कमला वर्मा जी अगर एक बार भी वाक-आउट कर जाएं तो हम वाक-आउट करना बंद कर देंगे।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बीरेन्द्र सिंह जी को और भागी राम को तो टपकले का डर है। इनको तो यही लगा रहता है कि हम कब यहां होंगे इसलिए मैं इन्हे बताना चाहता हूँ कि ये दिन लट गए, वह बात खत्म हो गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आज आखिरी दिन है अच्छे माहौल में सब जाएं। आपसे जो थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है मुझे आशा है कि आप भी मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि जो एवरेज है वह अगले सदन में दूर हों। मुझे आशा है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी अपनी आदत सुधारेंगे। यह जो प्रथा है, फटाफट रैजिल्यूशन लाने की कि इसको निकालो There are the abrasions and these abrasions can be removed. We are always for good gesture.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to move—
That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried

सदन की मेज़ पर रखे गए कागज़-पत्र

Mr. Speaker : Now a Minister will lay papers on the Table of the House.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to lay on the Table—

1. The Annual Financial Accounts of Haryana Khadi & Village Industries Board for the year 1993-94 as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.
2. The 23rd Annual Report of the Haryana Tanneries Limited for the year 1994-95 as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.
3. The Administrative Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1994-95 as required under section 75(1) of the Electricity (Supply) Act, 1948.
4. The 29th Annual Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 1995-96 as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.
5. The Statement showing the loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 15-1-1997 as required under section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.
6. The Report of Inquiry headed by Mr. V.M. Jain, District & Sessions Judge as required under sub-section (4) of Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952.

समितियों की रिपोर्टस पेश करना

(i) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 44वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now the Chairman, Committee on Public Accounts will present its 44th Report for the year 1996-97.

Chairman, Committee on Public Accounts (Shri Ram Bhajan Aggarwal) : Sir, I beg to present the Forty Fourth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1996-97, on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1991, 31st March, 1992 and 31st March, 1993 (Civil & Revenue Receipts.)

(ii) पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी की 42 वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, the Chairman, Committee on Public Undertakings will present its Forty Second Report.

Chairman, Committee on Public Undertakings (Shri Satpal Singh Sangwan) : Sir, I beg to present the Forty Second Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1996-97 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1993-94 (Commercial).

(iii) वेलफेयर ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी की 22वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Chairman, Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will present its 22nd Report.

चेयरमैन, कमेटी आन दि वेलफेयर ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स (श्री कपूरचन्द शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण के लिए समिति की 22वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

(iv) एस्टीमेट्स कमेटी की 29वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, the Chairman, Committee on Estimates will present its 29th Report for the year 1996-97.

Chairman, Committee on Estimates (Shri Narpender Singh) : Sir, I beg to present the Twenty Ninth Report of the Committee on Estimates for the year 1996-97.

(v) गवर्नमेंट एश्योरेंसिज कमेटी की 28वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Bijender Singh, a member of the Committee on Government Assurances will present its 28th Report for the year 1996-97.

Member, Committee on Government Assurances (Shri Bijender Singh Kadian) : Sir, I beg to present the Twenty Eighth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1996-97.

बिल

(i) दि महार्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैडमेंट) बिल, 1988

(पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस यथाप्राप्त)

Mr. Speaker : Now the Education Minister will move the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1988 (as received back from the Governor for reconsideration).

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to move—

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1988 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 8th April, 1988, be reconsidered in the light of the observation contained in the direction, dated the 30th March, 1995, from the President of India, conveyed by the Governor in his message, dated the 13th September, 1995, with a view to suitably amend clause 2 of the Bill as follows :—

“(1) The State Government shall constitute a Selection Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the State Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor, shall be determined by the Chancellor, on the advice of the State Government.

(1A) The Chancellor may, on the advice of the State Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice, and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry, to be a person patently unfit to be continued in such office.”

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1988 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 8th April, 1988, be reconsidered in the light of the observation contained in the direction, dated the 30th March, 1995, from the President of India, conveyed by the Governor in his message, dated the 13th September, 1995, with a view to suitably amend clause 2 of the Bill as follows :—

“(1) The State Government shall constitute a Selection Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the State Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor, shall be determined by the Chancellor, on the advice of the State Government.

(1A) The Chancellor may, on the advice of the State Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural

[Mr. Speaker]

justice and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry, to be a person patently unfit to be continued in such office."

Mr. Speaker : Question is—

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1988 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 8th April, 1988, be reconsidered in the light of the observation contained in the direction, dated the 30th March, 1995, from the President of India, conveyed by the Governor in his message, dated the 13th September, 1995, with a view to suitably amend clause 2 of the Bill as follows :—

"(1) The State Government shall constitute a Selection Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the State Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor, shall be determined by the Chancellor, on the advice of the State Government.

(1A) The Chancellor may, on the advice of the State Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry to be a person patently unfit to be continued in such office."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Amendment on clause 2 has been received from the Education Minister, which will be deemed to have been read and moved.

That in clause 2 of the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1988, for sub-section (1) of Section 9A of the Maharshi Dayanand University Act 1975, proposed to be substituted, the following sub-section shall be substituted namely :—

"(1) The State Government shall constitute a Selection Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the State Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor, shall be determined by the Chancellor, on the advice of the State Government.

(1A) The Chancellor may, on the advice of the State Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry, to be a person patently unfit to be continued in such office."

Mr. Speaker : Question is—

That in clause 2 of the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1988, for sub-section (1) of Section 9A of the Maharshi Dayanand University Act 1975, proposed to be substituted, the following sub-section shall be substituted namely :—

"(1) The State Government shall constitute a Selection Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the State Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor, shall be determined by the Chancellor, on the advice of the State Government.

(1A) The Chancellor may, on the advice of the State Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry to be a person patently unfit to be continued in such office."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

(ii) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 1988 पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस
वध्याप्राप्त

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1988 (as received back from the Governor for reconsideration).

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to move—

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1988 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 8th April, 1988, be reconsidered in the light of the observation contained in the direction, dated the 30th March, 1995, from the President of India, conveyed by the Governor in his message, dated the 13th September, 1995, with a view to suitably amend clause 2 of the Bill as follows :—

“(1) The State Government shall constitute a Selection Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the State Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor, shall be determined by the Chancellor, on the advice of the State Government.

(1A) The Chancellor may, on the advice of the State Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry, to be a person patently unfit to be continued in such office.”

The motion was carried.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1988 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 8th April, 1988, be reconsidered in light of the observation contained in the direction, dated the 30th March, 1995, from the President of India, conveyed by the Governor in his message, dated the 13th September, 1995, with a view to suitably amend clause 2 of the Bill as follows :—

“(1) The State Government shall constitute a Selection Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the State Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor, shall be determined by the Chancellor, on the advice of the State Government.

(1A) The Chancellor may, on the advice of the State Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice, and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry, to be a person patently unfit to be continued in such office.”

Mr. Speaker : Question is—

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1988 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 8th April, 1988, be reconsidered in the light of the observation contained in the direction, dated the 30th March, 1995, from the President of India, conveyed by the Governor in his message, dated the 13th September, 1995, with a view to suitably amend clause 2 of the Bill as follows :—

“(1) The State Government shall constitute a Selection Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the State Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor, shall be determined by the Chancellor, on the advice of the State Government.

(1A) The Chancellor may, on the advice of the State Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice, and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry, to be a person patently unfit to be continued in such office.”

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Amendment on clause 2 has been received from the Education Minister, which will be deemed to have been read and moved.

That in clause 2 of the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1988 for sub-section (1) of section 11 of the Kurukshetra University Act, 1986, proposed to be substituted, the following sub-sections shall be substituted, namely :—

[Mr. Speaker]

“(1) The State Government shall constitute a Selection Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the State Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor, shall be determined by the Chancellor, on the advice of the State Government.

(1A) The Chancellor may, on the advice of the State Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice, and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry, to be a person patently unfit to be continued in such office.”

Mr. Speaker : Question is—

That in clause 2 of the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1988 for sub-section (1) of section 11 of the Kurukshetra University Act, 1986, proposed to be substituted, the following sub-sections shall be substituted, namely :—

“(1) The State Government shall constitute a Selection Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the State Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor, shall be determined by the Chancellor, on the advice of the State Government.

(1A) The Chancellor may, on the advice of the State Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice, and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry, to be a person patently unfit to be continued in such office.”

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Education Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : *Motion moved.*

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (अर्मेडमेंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1997 and also move the motion for its consideration.

स्वामीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1997 प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ कि

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : *Motion moved—*

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय यह जो अर्मेडमेंट आज लाया जा रहा है इसके तहत इसमें डबल मैम्बरशिप नहीं रहेगी। मैं इस का स्वागत करता हूँ लेकिन अगर कोई व्यक्ति एम०एल०ए० इलेक्ट हो जाता है तो वह नगर निगम का मैम्बर नहीं रह पाएगा। मैं इस बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एम०एल०ए० अपने आप में एक इन्स्टीच्यूशन है। आर्डर आफ प्रोटोकॉल में चीफ० सैक्रेटरी से ऊपर एम०एल०ए० का दर्जा जाता है। अध्यक्ष महोदय पिछले दिनों मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था तब भी मैंने कहा था और अब हाउस में भी मैं कहता हूँ कि पिछली सरकार के वक्त में एक स्कीम थी जिसे एम०एल०ए० ऐरिया डिवैल्पमेंट स्कीम कहा जाता था एम०एल०ए० डेमोक्रेटिकली इलेक्टिड व्यक्ति होता है जो कि लोगों के बीच में रहता है और उसे मालूम होता है कि लोगों की समस्याएँ

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

क्या हैं और लोगों की प्रॉब्लम के बारे में उसे बेहतर जानकारी होती है। उसे यह मालूम रहता है कि कहां-कहां पर क्या-क्या काम किया जाना है। एक एम०एल०ए० काम करवाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के पीछे धूमता फिर कि मेरे हल्के में फलां जगह वह काम होना है यह ठीक नहीं है। (विष्ण)

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मੈम्बर जो बात कह रहे हैं उसका इस विधेयक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, मन्त्री महोदय बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं अगर आपको इस बिल पर बोलना है तो बोलिए। आप इस बिल पर रैलेवेंट बोलिये (विष्ण) बिल के बारे में कोई रैलेवेंट बात आप कहना चाहते हैं तो कहें या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बताएं।

शिक्षा मन्त्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अजय सिंह जी के साथ तो वह हालत है कि एक बार कबीर जी ने पानी के ऊपर कोई मंत्र किया और यह कहा कि जो यह पानी पी जाएगा वह अमर हो जाएगा। कोई एक जोगी वहां पर आया उसको कबीर जी ने कहा कि जोगी यह पानी पी ले। उस जोगी ने यह सोचा कि कबीर फकीर है, सन्त है, औरलिया है पता नहीं यह क्या पिला रहा है। सन्देह के मारे वह जोगी वहां से चला गया और उसने वह पानी नहीं पिया। इतनी देर में मुल्तान से आई हुई बेटी उनके पास आई और बिना पूछे ही वह पानी उसने पी लिया और वापिस मुल्तान चली गई। कुछ दो-चार किलोमीटर दूर जा कर उस जोगी ने सोचा कि कबीर जी सन्त हैं वे किसी का बुरा तो नहीं कर सकते हैं उस जल में पता नहीं वह क्या पिलाना चाहते हैं वह वापिस लौट आया और कबीर जी के पास आ कर कहने लगा कि मैं वह पानी पीना चाहता हूँ, तब कबीर जी ने उस को कहा :—

प्यावे था जब पीयो नहीं मोले जोगी अभियान कियो,

अब जोगी क्यों मूल परयो वह पानी तो मुल्तान गयो।

अध्यक्ष महोदय, जब बिल पर बोलना होता है तब इन्हें कांस्टीच्यूएंसी की याद आती है और जब कांस्टीच्यूएंसी की बात कहनी होती है तो ये कुछ और बोलते हैं। आपने इनको इस बिल पर बोलने के लिए कहा है लेकिन कैप्टन साहब अब दूसरी बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बिल की बात है और इन्हें बिल पर ही बोलना चाहिए।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आदरणीय शिक्षा मन्त्री जी ने इनके बारे में बिल्कुल ठीक मिसाल दी है। अब इनको बिल पर बोलना चाहिए लेकिन बिल पर कुछ कहने की बजाये इनको अपने हल्के की याद आ रही है। जब इन की अपनी सरकार थी और चौधरी भजन लाल जी के मंत्रिमण्डल में ये मंत्री रहे हैं तब इन्हें अपने हल्के की याद नहीं आती थी लेकिन अब इन्हें अपने हल्के की याद सता रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कारपोरेशन बिल में जो अर्मेडमेंट ये ले कर आए हैं यह ठीक है लेकिन आज म्यूनिसिपल कारपोरेशन की हालत बहुत ही खराब है इनकी फाइनेंशियल पोर्जीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक अपने कर्मचारियों को तनखाहें तक देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। यह ठीक है कि एम०एल०ए० इसमें नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब आप बैठ जाएं। अब धर्मवीर गाबा जी बोलेंगे।

श्री धर्मवीर गाबा (गुडगांवा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट आई है इसमें हमें यह बता दिया जाए कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के क्या आर्डर हैं और जो रिजर्व कांस्टीच्यूएंसी से जीत कर आएगा उसको ही प्रधान बनाया जाएगा या जरनल कैटेगरी वाले को भी बनाया जाएगा ? अध्यक्ष महोदय, जब मैं मिनिस्टर था तब इस ऐक्ट को बनाने में मेरा भी हाथ था जिसमें अब ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं।

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो महिला या पुरुष रिजर्व कैटेगरी से जीत कर आएगा वही प्रधान बन सकता है। जरनल कैटेगरी वाला नहीं बन सकता है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause
Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

The Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

The Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

The Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

The Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister to move that the Bill be passed.

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि —

विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1997 and also move the motion for its consideration.

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : मैं हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1997 प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ —

कि हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will move that the Bill be passed.

Local Government Minister (Dr. Kamla Verma) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पेंशन आफ मैम्बर्स)
अमैन्डमेंट बिल, 1997

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

मुख्य मंत्री (श्री बंसीलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं मैम्बर साहेबान के अलाउंसिज बढ़ाने के बारे में यह बिल पेश करना चाहता हूँ। इस बिल के बारे में हमारी सभी की यानी धर्मवीर गाबा, कैप्टन अजय सिंह और समता पार्टी के सभी साथियों की एक समान राय थी और सभी ने इसके बारे में अपनी सहमति प्रकट की थी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमने सभी ने आपस में डिस्कशन करके यह बिल आपके सामने पेश करने का निर्णय लिया है।

Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members), Amendment Bill, 1997.

Sir, I also beg to move—

[Mr. Bansi Lal]

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Sbri Bansi Lal) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

शिक्षा मंत्री द्वारा धन्यवाद

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। आपने बहुत शालीनता से बड़े सम्मान के साथ सदन चलाया इसके लिए सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं उसके बाद माननीय विपक्ष के जो विधायक हैं समता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं इन सबका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कुछ जो सुझाव दिए उनमें से कुछ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश दिए। इसके साथ में सारे सदन को, माननीय प्रेस को, अधिकारियों को होली का त्यौहार है, बड़ा पावन त्यौहार है उसकी बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि होली के रंगों में सब उज्वल हो कर आएंगे और अपनी-अपनी भूमिका को भूलकर आएंगे।

श्री अध्यक्ष : आप सबका धन्यवाद।

Now the House stands adjourned sine-die.

*11.51 Hrs. (The Sabha then * adjourned sine-die).

